

पत्रांक- 232 दिनांक- 10/6/23

1. स्वागत भाषण - श्री के०पी० पाण्डेय, उपाध्यक्ष
2. गत आमसभा की बैठक दिनांक 21.08.2022 की सम्पुष्टि
3. अवैतनिक सचिव द्वारा प्रतिवेदन का प्रेषण
4. वित्तीय वर्ष 2022-23 का संशोधित बजट का घटनोत्तर अनुमोदन
5. वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट पर चर्चा एवं अनुमोदन
6. वायलॉज के कुछ प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन-प्रारूप संलग्न
7. निधि सृजन हेतु निम्न प्रस्ताव :-
 - (क) सोसाईटी के नियमित व्यय के वहन हेतु सामुदायिक परिसर एवं सोसाईटी के पास उपलब्ध वाणिज्यिक अनुपयुक्त भूखण्ड का P.P.Mode पर EOI के माध्यम से कोष अर्जित करने पर विचार एवं सहमति
 - (ख) आवासीय/गैर आवासीय अनुरक्षण शुल्क
 - (ग) सुरक्षा शुल्क
 - (घ) Commercial Shop आदि का प्रस्तावित दर
8. माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आवास बोर्ड द्वारा 8 सदस्यों के प्लॉटों के विरुद्ध राशि की मांग पर विमर्श ।
9. उप निबंधक न्यायालय के आदेश के अनुपालन (जो सोसाईटी से संबंधित है) पर निर्णय
10. अध्यक्षीय संबोधन
11. नये सदस्यों का स्वागत
12. अन्यान्य
13. दिवंगत सदस्यों के लिए शोक संवेदना
14. धन्यवाद ज्ञापन - श्रीमति शोभा कुमार, निदेशक
सभी सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में उपस्थित होने की कृपा करें।
प्रतिवेदन संलग्न।

ह०/-

अ० सचिव

पत्र सं. 232 दिनांक 10/8
Services Housing Co-operative Society Limited

Ashok Nagar, Ranchi-834002

E_Mail – support@ashoknagarranchi.com

दिनांक 30.04.2023 को सम्पन्न 61 वीं साधारण आमसभा की कार्यवाही

- (1) उपस्थिति पंजी
- (2) 61वीं साधारण वार्षिक आमसभा की बैठक दिनांक 30.04.2023 को डा0 माधव की अध्यक्षता में सामुदायिक भवन में पूर्वाह्न 11.30 बजे कार्यावली के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ हुई । सर्वप्रथम उपाध्यक्ष श्री के0 पी0 पाण्डेय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया । उन्होने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है, कि मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ ।
- (3) गत साधारण वार्षिक आम सभा जो दिनांक 21.08.2022 को सम्पन्न हुई थी के कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई ।
- (4) अवैतनिक सचिव ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए वर्तमान निदेशक मण्डल द्वारा कराये गये प्रमुख विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए इसे दूरगामी प्रभाव देनेवाला बताया । उन्होने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित बजट पर प्रकाश डाला तथा पारितार्थ सभा के समक्ष प्रस्तुत किया ।
- (5) अध्यक्ष की अनुमति से सभा में उपस्थित विभिन्न सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे जो निम्नवत है :-
- (6) कार्यावली टिप्पणी संलग्न ।

कार्यावली टिप्पणी

कार्यावली संख्या-4 वित्तीय वर्ष 2022-23 अनुमोदित बजट में कुछ मदों के प्रावधान में परिवर्तन किया गया है। कार्यों को ध्यान में रखते हुए मदवार परिवर्तन किया गया है। कुल अनुमोदित बजट Revenue Receipt 581.00 लाख (पाँच करोड़ इक्यासी लाख) और Capital Receipt 115.00 लाख (एक करोड़ पन्द्रह लाख) तथा Expenditure 571.00 लाख (पाँच करोड़ इकहत्तर लाख) अनुमोदित बजट के विरुद्ध संशोधित बजट में वृद्धि नहीं की गई है, बल्कि उसमें कमी की गई है।

घटनोत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तावित बजट 2022-23 में प्राप्ति 551.00 के विरुद्ध 290.02 लाख एवं 393.50 लाख के विरुद्ध 240.45 लाख है। इस प्रकार आय-व्यय में अंतर की राशि 49.57 लाख होता है। अतः घटनोत्तर अनुमोदन अपेक्षित है।

कार्यावली सं0-5 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आमसभा से पारित हेतु बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। 2023-24 के बजट उपशीर्ष (व्यय) में कुछ आइटम को मर्ज कर कम मद बनाया गया है जिससे कि कार्यों एवं Accounting process का सरलीकरण हो सके।

कार्यावली सं0-6 Bye Laws के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव सदस्यों द्वारा प्राप्त किया गया है। Bye Laws Committee द्वारा सभी संशोधनों पर विचार कर समेकित रूप से प्रस्तुत किया गया है। निदेशक मण्डल द्वारा विचारोपरान्त आमसभा में संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

कार्यावली सं0- 7(क) सोसाइटी की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन हेतु अतिरिक्त निधि सृजन की आवश्यकता है। ज्ञातव्य है, कि आय के श्रोत सीमित है साथ ही सदस्यों पर भी बहुत अधिक अधिभार युक्ति संगत नहीं है।

इसलिए बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि सोसाइटी के बाईलौज के प्रावधानों के अनुरूप समाचार पत्रों के माध्यम से P.P.Mode पर अभिव्यक्ति की इच्छा (Expression of Interest) का प्रस्ताव प्राप्त किया जाय एवं अनुपयुक्त व्यवसाय क्षेत्रों एवं सोसाइटी परिसर में नये सिरे से संरचना का निर्माण किया जाय जिससे कि आय का श्रोत बढ़ सके।

कार्यावली संख्या-7(ख)(ग)(घ) आवासीय एवं गैर आवासीय अनुरक्षण शुल्क, सुरक्षा शुल्क, Commercial Shop का प्रस्तावित दर नये सिरे से निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया गया था। जिसके प्रतिवेदन पर समीक्षा कर निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया एवं निम्न प्रकार से निर्धारण का प्रस्ताव आमसभा के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा जा रहा है ।

परिशिष्ट-क

आवासीय		गैर आवासीय		सुरक्षा	
वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
0.45 Y	Plot A 12000/-	Y+10Z	Y+12 Z	100 मासिक	700.00मासिक
0.75Y	Plot B 9000/- Plot C 7000/- Plot D 5000/-				

Where Y=annual maintenance charge as per size of plot ,
Z=plinth area(builtup area)under commercial use in Sq.ft.

व्यवसायिक भवन

भवन का नाम	वर्तमान किराया	प्रस्तावित किराया	सदस्य जो स्वयं संचालित करेंगे
मार्केट कमप्लेक्स ग्राउंड फ्लोर	3.00 प्रति वर्गफुट	30.00प्रति वर्गफुट	20.00प्रति वर्गफुट
मार्केट कमप्लेक्स फर्स्ट फ्लोर	5.00 प्रति वर्गफुट	25.00प्रति वर्गफुट	20.00प्रति वर्गफुट
फिजियोथेरेपी ग्राउन्ड फ्लोर	8.50 प्रति वर्गफुट	30.00प्रति वर्गफुट	
फिजियोथेरेपी फर्स्ट फ्लोर		25.00प्रति वर्गफुट	
ओल्ड शॉप मार्केट कम्प्लेक्स	6.50 प्रति वर्गफुट	80.00प्रति वर्गफुट	
भेजीटेबुल शॉप	3.25 प्रति वर्गफुट	40.00प्रति वर्गफुट	
गुमटी शॉप	6.00 प्रति वर्गफुट	40.00प्रति वर्गफुट	
ग्रीन लैन्ड शॉप(दलादली रोड)	8.00 प्रति वर्गफुट	60.00प्रति वर्गफुट	

विदित है, कि आवासीय उपयोग वाले प्लॉट से कुल लगभग 15.00 लाख की राशि प्राप्त होती है जबकि बोर्ड द्वारा जो प्रस्ताव समर्पित किया गया है, उससे लगभग 30.00 लाख रुपये शुल्क के रूप में प्राप्त होंगे।

उसी प्रकार Commercial प्लॉट से लगभग 30.00लाख रुपये प्राप्त होते हैं जबकि नये प्रस्ताव के अनुसार लगभग 50.00लाख रुपये प्राप्त होंगे ।

इस प्रकार कुल अनुरक्षण शुल्क नये प्रस्ताव के आधार पर 75.00लाख रुपये प्राप्त होंगे जबकि पूर्व के हिसाब से 50लाख रुपये होते हैं ।

सोसाईटी के अन्दर आपराधिक घटना, पार्को में संध्या समय बाहरी तत्वों का जमा होने, सोसाईटी के बाहर के वाहनों का विभिन्न पथों में पार्किंग होने की चर्चाएँ सदस्यों द्वारा की जाती रही हैं । सदस्यों द्वारा Social Media एवं गत आमसभा की बैठकों में सुरक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन का प्रस्ताव आते रहा है । इन सुझावों के आलोक में निदेशक मण्डल द्वारा कई कदम उठाये गये । Profesional Security Agency का चयन एवं मानव बल की संख्या को बढ़ाते हुए एस0आई0एस0 को समिति की अनुशंसा के आलोक में चयनित कर 1 दिसम्बर 2022 से कार्य लिया जा रहा है । पूर्व में सदस्यों द्वारा प्रति प्लॉट सुरक्षा शुल्क 100/-रुपये प्रतिमाह के हिसाब से लगभग 6.00 लाख रुपये वार्षिक प्राप्त होते रहे हैं । दलादली रोड के सदस्यों से सुरक्षा शुल्क नहीं प्राप्त हो रहे हैं। वर्तमान की नयी सुरक्षा व्यवस्था पर लगभग 3.75 लाख प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष लगभग 45.00 लाख व्यय है ।

ऐसी परिस्थिति में बोर्ड ने सुरक्षा शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव आमसभा से पारित हेतु दिया है । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि 700/- रू० प्रतिमाह की दर से प्रस्ताव का अनुमोदन करना चाहेंगे।

Shoping Complex जो दो मंजिला है , का किराया वर्तमान में 3-5 रुपये प्रति वर्गफीट है । समिति की अनुशंसा पर विचार करने के उपरान्त बोर्ड द्वारा आमसभा में निम्न प्रकार से प्रस्ताव सहमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।

व्यवसायिक भवन

भवन का नाम	वर्तमान् किराया	प्रस्तावित किराया	सदस्य जो स्वयं संचालित करेंगे
मार्केट कमप्लेक्स ग्राउंड फ्लोर	3.00 प्रति वर्गफुट	30.00प्रति वर्गफुट	20.00प्रति वर्गफुट
मार्केट कमप्लेक्स फस्ट फ्लोर	5.00 प्रति वर्गफुट	25.00प्रति वर्गफुट	20.00प्रति वर्गफुट
फिजियोथेरेपी ग्राउन्ड फ्लोर	8.50 प्रति वर्गफुट	30.00प्रति वर्गफुट	
फिजियोथेरेपी फर्स्ट फ्लोर		25.00प्रति वर्गफुट	
ओल्ड शॉप मार्केट कम्पलेक्स	6.50 प्रति वर्गफुट	60.00प्रति वर्गफुट	
भेजीटेबुल शॉप	3.25 प्रति वर्गफुट	40.00प्रति वर्गफुट	

गुमटी शॉप	6.00 प्रति वर्गफुट	40.00प्रति वर्गफुट	
ग्रीन लैन्ड शॉप(दलादली रोड)	8.00 प्रति वर्गफुट	60.00प्रति वर्गफुट	

Shopping Complex के रख-रखाव की स्थिति दयनीय हो गई है । जो रख-रखाव किये जा रहे हैं,उसपर लगभग प्रतिमाह 1.5 से 2.00लाख रुपये व्यय होता है। किसी प्रकार का Maintenance भी प्राप्त नहीं किया जाता है जबकि Holding Tax पिछले तीन वर्षों से

भुगतान नहीं किया गया है । वर्तमान् बोर्ड नये सिरे से Holding Tax के निर्धारण हेतु प्रयासरत है । वर्तमान् में लगभग पूर्व का Holding Tax मद में 12.00 लाख रुपये का Demand है । सभी प्रकार के Shopping Complex से लगभग 9.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं, जबकि अच्छे ढंग से रख-रखाव एवं नये सिरे से Holding Tax के निर्धारण के पश्चात् नगण्य आय सोसाईटी को प्राप्त होने की संभावना है।

Shopping Complex में सदस्यों के साथ Lease Agreement किया गया है । Lease Agreement के पारा 16, 17 एवं 18 में Sub-let के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है, जो निम्नवत है :-

"16- No Sub-Letting shall be allowed by the Lessee and any sub-letting will be considered fully unauthorized.

17- In the Event of sub-Letting by the Lessee, detected at any time the lessee shall have to vacate the shop & the premises within a maximum period of one month from the date issue of letter from the society regarding this.

18- For the period of sub-Letting, detected at any time the Lessee shall be liable to pay a penal rent which will be five times the normal monthly rent."

Board द्वारा विभिन्न प्रकार के दुकानों का प्रस्तावित दर का उल्लेख किया गया है जिसपर आमसभा से अनुमोदन अपेक्षित है।

कार्यावली सं०-8 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सोसाईटी द्वारा आवंटित 8(आठ) प्लॉटों के सदस्यों को भूमि के एवज में राशि की मांग आवास बोर्ड द्वारा की गई है। उपरोक्त न्यायादेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी सम्पुष्ट किया गया है । आवास बोर्ड द्वारा 8 प्लॉटों के लिए लगभग 25.00 करोड़ की मांग की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अंश निम्नवत है :-

" For the foregoing reasons, we allow this appeal and setting aside the decision of the learned Single judge, dismiss the writ petition filed by the writ petitioner with costs. Normally, we would have stopped here. But in view of the developments and the circumstances, we think that it is necessary to issue some further directions in the interests of justice. We therefore, direct that the

order of the Authority to convey for the market value will be complied with by the Housing Board if the writ petitioner Society pays the market value as fixed by the Housing Board by applying the principles of the Land Acquisition Act to the

.....
.....
.....

Housing Board within two months and the Housing Board communicating to it the market value at which the land is to be conveyed. The price to be paid will be communicated by the Housing Board to the Society within two months from today. If the Society does not pay the amount as indicated above, within the time, the housing Board will take possession of the lands on the strength of this judgment, but the persons, if any, who have put up residential buildings will be given an opportunity to purchase the portions occupied by them at the price fixed as above, if they complete the transaction by paying the price within six months from today. If they do not come forward, they will be physically dispossessed within seven months from today."

Sd/- P.K.Balasubramanyam C.J.

Sd/- R.K. Merathia J.

माननीय उच्च न्यायालय के पारित न्यायादेश वर्ष 2003-04 के उपरान्त सोसाइटी द्वारा किसी न किसी वजह से यह मामला लम्बित रखा गया, जिन कारणों से आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सभी प्लॉट के सदस्यों को सोसाइटी द्वारा प्लॉटों का निबंधन (Sale Deed) भी Execute किया गया है। Housing Board द्वारा 2003-04 के न्यायादेश के आधार पर लगभग 93.00 लाख रुपये की मांग की गई थी। इस सन्दर्भ में सोसाइटी द्वारा पत्राचार भी किये गये परन्तु कोई फलाफल नहीं निकला। वस्तुस्थिति यह है, कि 1964 में भूमि अधिग्रहण हेतु निर्धारित दर 10,304/- रुपये प्रति एकड़ निर्धारित था। इस दर के आधार पर सोसाइटी द्वारा रू0 21,638/-रुपये जमा कराया गया था। फिर भी आवास बोर्ड द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में राशि की मांग की जा रही है, वस्तुतः सोसाइटी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा गया जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। इसपर आमसभा द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है। वर्तमान बोर्ड द्वारा सारे तथ्यों से आवास बोर्ड को अवगत कराया गया है।

कार्यावली सं0-9 उप निबंधक, सहयोग समितियाँ के न्यायालय के आदेश जो सोसाइटी से सम्बन्धित है, वे निम्न प्रकार हैं :-

- (i) The Ashok Nagar Club has been established by the Service Housing Cooperative Society Ltd. Ashok Nagar, according to the rules and provisions of the Bye-laws of the Society. The land for establishment of the club has

been provided by the Society. The Club runs in the direction of the Society. Thus the Ashok Nagar Club is not a separate entity but a unit of the Society. Any co-operative society does not have the right to open an institution of separate existence, but can establish an institution as a unit for its business

5/6

development as per the provision contained in its Bye-laws. The business, income and expenditure of such institution will be of the cooperative society. That business unit can keep a sub account with itself, but its main account will remain with the society. Such an institution/unit can't maintain a separate PAN for filing Income Tax Returns. Therefore after the financial year 2015-16 onwards, the Ashok Nagar Club has taken its own PAN and files Income Tax Return Separately, then it is against the rules, And in this way, the connivance and vested interest of some members of the Society and directors of the board are reflected in operating the club against the rules.

इसपर भी आमसभा से निर्णय की अपेक्षा है ।

वस्तुस्थिति

विदित है कि अशोक नगर सोसाइटी के अर्न्तगत निर्माण क्षेत्र कुल लगभग 25.00 लाख वर्गफीट है । इस कुल 22 लाख वर्गफीट का उपयोग आवासीय एवं 3.00 लाख वर्गफीट गैर आवासीय उपयोग हो रहा है । समय-समय पर इसमें परिवर्तन हो सकता है ।

सदस्यों को यह जानकारी देना आवश्यक है, कि 22 लाख वर्गफीट आवासीय उपयोग से लगभग 15 लाख एवं 3 लाख वर्गफीट गैर आवासीय उपयोग के विरुद्ध 30 लाख अनुरक्षण शुल्क प्राप्त होता है ।

सोसाइटी को वर्तमान में मेन्टेनेन्स, सुरक्षा एवं शॉपिंग कम्पलेक्स से कुल 56.37 लाख राशि प्राप्त होता है । सोसाइटी द्वारा विकास कार्यों को छोड़कर दैनिक कार्यों का सम्पादन, वेतन, बिजली, पानी, ईंधन आदि आदि पर लगभग 134.20 लाख व्यय होता है । ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त Maintenance सुरक्षा शुल्क एवं Shopping Complex के किराये में वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है । प्रस्तावित कुल राशि 165.00 लाख होता है । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आमसभा से प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।

कार्यवाही प्रतिवेदन

रविशंकर कुमार सिन्हा 491-सी

Revised estimate में **Item** के साथ छेड़छार किया गया है । **Comperative Statement** के साथ **By-Laws** में संशोधन हेतु अलग से **Meeting** बुलाकर किया जाना चाहिए । **Modification** की कार्रवाई अनावश्यक है । **Mall** या अन्य कार्रवाई पर सदस्यों की राय लेनी चाहिए । सुरक्षा शुल्क में भारी वृद्धि की गई है । इसे मासिक 300/-रूपया की जाय । दलादली रोड के प्लॉट से भी सुरक्षा शुल्क लिया जाय । ऑनरेरियम पूर्व से नहीं दिया जाता था । वाय लॉज की कंडिका 27-2(क),27-2(ख) के अनुसार यह अनुमान्य नहीं है । एफ0डी0 पर ब्याज की प्राप्ति राशि कम दर्शाया गया है, उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

श्री प्रदीप कुमार 77-डी

बजट जो पूर्व वर्ष 2022-23 में पारित हुई थी उसका **Audit Report** नहीं दिया गया है । पिछले आमसभा का अनुपालन प्रतिवेदन नहीं है । जो बजट आपने इस साल के लिए लाया है, उसमें कुछ **Hiden** है । मेन्टेनेन्स चार्ज **Builtup Area** पर ही लिया जाता रहा है । उसी आधार पर जो बढ़ाना है, **Price Index** के हिसाब से **Percentage** बढ़ा लीजिए लेकिन इस फर्मुला में कोई परिवर्तन नहीं करें । सिक्यूरिटी चार्ज बहुत ही मंहगा है । अगर सिक्यूरिटी ही रखना है तो कोई सस्ता सिक्यूरिटी रख

लीजिए । रिमोट दबाकर गेट खोलना और बंद करना यह कोई सिक्यूरिटी नहीं है । पहले सीटी बजती थी, वह भी सुनाई पड़ती थी। दुकानदारों से अलग से वार्ता करें । आमसभा इसे रखने की कोई जरूरत नहीं है । उनका अलग से आपसे एग्रीमेंट है । उनसे अलग से बात कीजिए । जितने भी वाय लॉज में **Changes** लाये गये हैं या जो भी आप ला रहे हैं, उसके लिए एक **Extra Ordinary Meeting** बुलायें और उसमें हमें बुलायें। उसके उपर हमलोग बात करेंगे । अभी बजट पर ही चर्चा करें । क्लब के विषय में हो सकता है, कि बहुत से लोग नहीं जानते हों लेकिन हमारे बुजुर्ग जो बहुत से दिवंगत हो गये और बहुत से हैं, और जो अभी हैं, वो जानते होंगे क्लब को एक जमीन आवंटन की गयी थी । दी देन बोर्ड द्वारा अथवा दी देन ए0जी0एम0 द्वारा । जैसे भी आवंटित हो, उस समय मैं नौकरी करता था । रिटायर नहीं हुआ था। उसमें बहुत सारी शर्तें थी । उस शर्तों का क्लब आज भी अनुपालन करते आ रहा है । और उन्ही शर्तों

के अनुसार हमारा क्लब चल रहा है । जबसे मैं हूँ तभी से बता सकता हूँ । उससे पहले भी चलते आ रहा है । दूसरी बात उसमें यह है, कि 2014 तक हमलोगों ने अपना **Audit** खुद कराया था । कभी मांग नहीं हुआ सोसाईटी से । सोसाईटी ने ही एक बार 2015 में यह कहा कि आपलोग अपना **Audit Report** हमें दे उसको हमलोग मर्ज कराकर **12A** और **12AA** का बेनीफिट लेंगे । उनलोगों ने पत्र लिखा और उसके बाद 2016 में स्वर्गीय के0 पी0 त्रिपाठी क्लब के चेयरमैन थे और उसके पहले स्वर्गीय टी0 के0 सिंह वगैरह सबलोग थे । क्लब की चिट्ठियाँ आपके भी फाईल में है और हमारे भी फाईल में है । इन सबों पर विचार करने की बात है । 2016 में हमें तत्कालीन अध्यक्ष महोदय जो स्वर्गीय हो

गये, उन्होंने लिखकर दिया क्लब को । आपलोग अपना अलग से पैन ले लें।

2016-17 से आप 7 वर्ष हो रहा है अपने पैन पर इन्कम टैक्स फाईल कर रहे हैं । इस बीच में अखिलेश कुमार एण्ड पार्टी और श्री ए0 के0 मिश्रा एण्ड पार्टी ने आपस में केश मुकदमा किये जिसकी क्लब को कोई जानकारी नहीं दी गई । और ये मुकदमा रजिस्टार ऑफिस में की गयी । रजिस्ट्रार साहब ने भी क्लब से नहीं पूछा कि आपको क्या कहना है, नहीं कहना है, इस सम्बन्ध में बताएँ । तो मामला ये है कि दो सज्जन आपस में मुकदमा बाजी किये और उसमें क्लब को सजा दे दी कि उनके वो इस बुक में लाया गया है और उनका **Order** में ये है कि **Pan Cancil** किया जाय । इस सम्बन्ध में ऐसी परिस्थिति क्लब के सामने उत्पन्न हो गयी है, कि ऑर्डर को चैलेन्ज करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था । मैंने फरवरी में ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेन्ज किया है कि मुझे भी न्याय मिले और हमें भी सुना जाय । मैंने सुनवाई के लिए अपील किया है कि हमें सुने बिना क्लब के विरुद्ध जजमेन्ट दे दिया गया है । आप हमें बतायें कि हम क्या करें ? इस सम्बन्ध में एक चीज और बताना चाहूँगा कि **A.G.M. Meeting** में तो इसके पहले इसकी सूचना हम प्रबन्ध समिति में नहीं दिये थे क्योंकि प्रबन्ध समिति से सम्बन्धित विषय ही नहीं था। ये तो **Pan Card** से सम्बन्धित विषय था । जब मीटिंग में ला दिये इस विषय को तो प्रबन्ध समिति के सारे सदस्यों को हमने लेटर लिखा कि आप अपना बताएँ कि मामला फरवरी में हमने उच्च न्यायालय में विचार के लिए ला दिया है, तो ऐसे परिस्थिति में आप मीटिंग में क्यों **Discuss** करना चाहते हैं । आज आपके बीच और प्रबन्ध समिति के बीच में भी आया

हूँ कि आप इसपर निर्णय लें कि क्या उच्च न्यायालय में लम्बित मामले पर जजमेंट ले सकते हैं **A.G.M.** में या नहीं ले सकते हैं । ये आप लोगों को सोचने की बात है । आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करना चाहूँगा ।

श्री राम बाबू शाही -163-डी

अभी हमारे वरीष्ठ पदाधिकारी, सदस्य ने बजट के बारे में बहुत कुछ कहा है । मैं उनका समर्थन करता हूँ । दूसरी बात कि हमारे देहात में कहावत है, कि अछूत का घर अलग ही रहना चाहिए । वही हाल हमलोगों का हो गया है । 161 से 164 तक नाली जाम है । समिति अभियंता से कहा तो उन्होंने कहा कि लेबर यह काम करेगा । अब बताएँ कि किस लेबर को प्रणाम करूँ जो यह काम करेगा । छः माह से यह स्थिति है । यदि हमारा डेथ हो जाता है, तो नाली क्या उसी तरह से जाम रहेगा । हमें गर्व है, कि आप अच्छे से काम कर रहे हैं ।

श्री बी० एल० दास -496

निदेशक मण्डल को बधाई देता हूँ कि सोसाईटी में **Vibrant** शोर सुनाई देता है, कि नाले बन रहे हैं , रोड बन रहे हैं, सिक्यूरिटी है, कोई भी शिकायत करने पर जो पहले बहुत ही नेगलेट हो रहा था, आजकल उसकी केयर की जाती है , उसका प्रमाण है, मेरे पास । निदेशक मण्डल के सदस्य श्री प्रताप सिंह, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ । मेरी बेटी की शादी थी और नाली जाम था । उन्होंने दिन रात खड़ा होकर काम करा दिया तो लगा कि

अब सरकारी ऑफिस नहीं है, हमलोगों के समाज का एक ऑफिस है , और यह केयर करती है । इसके लिए पूरे निदेशक मण्डल को बधाई देता हूँ । अब प्रक्रिया सम्बन्धी बात है । मैं समझता हूँ कि किसी भी सभा का प्रारम्भ अध्यक्ष के परमिशन से होता है । सदस्य के परमिशन से नहीं होता है । पहला है बजट सम्बन्धी पिछले साल का **Actual Receipt** था 220.00 लाख और इस साल का एस्पेक्टेड बजट जो आया है, वह 537.00 लाख आया है । इतनी बड़ी वृद्धि एक बार हो जाना मेरे ख्याल से बहुत से सदस्यों के लिए ये बहुत ही कठिन होगा और ये बहुत ही **Logical** नहीं लगता । **100% Budget** एक बार में बढ़ा दिया जाय यह बहुत तार्किक नहीं लग रहा है । और इससे बहुत से सदस्यों को कठिनाई हो सकती है । निदेशक मण्डल को इसका ख्याल रखना चाहिए । बढ़ना चाहिए, बढ़ना उचित भी है । लेकिन ये नहीं कि **100%** ज्यादा बढ़ोत्तरी हो जाय । पहले का फर्मूला ठीक है, वह भी थोड़ा लॉजिकल हो। पहले का फर्मूला मेरे ख्याल से काफी लॉजिकल था। उसमें क्या जरूरत पड़ गया बदलने का ? इसका भी **Explanation** आना चाहिए । क्यों पुराने फर्मूला को हटाकर नया फर्मूला लाया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं दिया गया है। बजट के मामले में और सिक्यूरिटी के मामले में मुझे इतना ही कहना है। **Amendment** की जहाँ तक बात है । **Bye-Laws** का **Ammedment** जो होता है वह केवल हमलोगों को ही नहीं हमारे आनेवाले जेनरेशन को भी प्रभावित करेगा । आज के **Ammedment** को हमने देखा, बहुत सारा **Ammedment** है । **10-12 Ammedment** है । बहुत **Vital Ammedment** है । जो यहाँ के रहनेवाले हैं, सदस्य हैं, उनका परिवार है, इसको गंभीरता से लिया जाय । **Proposal** देना निदेशक मण्डल

का काम है । लेकिन **Proposal** के साथ यह भी दें, कि क्यों ऐसा कर रहे है । **Objective** जरूर दें। **Ammedment** के लिए अलग से सभा होनी चाहिए । इससे बहुत सारे सदस्यों को कठिनाई हो सकती है । निदेशक मण्डल इसका ख्याल रखे । बढ़ना चाहिए, बढ़ने का औचित्य भी है । लेकिन यह नहीं कि **100%** ज्यादा बढ़ोत्तरी हो जाय । मैं अपने रोड नम्बर 6 के बारे में कहना चाहता हूँ । रोड नम्बर 6 ही एक ऐसा रोड है ,जो सभी रोड से छोटा है। जिसकी चौड़ाई सबसे कम है और बहुत सारे समस्याओं से ग्रसित है । पानी निकलने के लिए ड्रेनेज नहीं है । पानी निकलने के लिए जगह नहीं है । पानी निकासी के लिए 50 मीटर नाला बनाया जाय ।

श्री धनेश्वरी प्रसाद 14-सी

इस उम्र में मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पर । लेकिन जो **Agenda** मिला मुझे उससे मुझे लगा कि यहाँ आना जरूरी है । इस तरह का अप्रत्यासित प्रस्ताव मैंने पहले कभी नहीं देखा था । जैसा कि बजट में बताया गया है । 3.00 करोड़ के पूर्व के बजट को अब 6.00 करोड़ का हो गया है । इसमें बहुत से आइटम ऐसे हैं जैसे एक आध विन्दु पर मैं बताना चाहता हूँ । **Last Financial Year** में **Daily Labour Wages** में 40.00 लाख था । इस साल इसको 70.00 लाख कर दिया गया है । 70.00 लाख का मतलब हुआ हर दिन करीब 20 हजार रूपया । मतलब 50 लेबर **Per Day Laily wages** पर । यह किसलिए । इसको एक्सप्लेन कीजिए, सबकोई जानना चाहता है। **Security Staff**

पर 50.00लाख रूपया खर्च । इसके पहले **Meeting** में आपके **Predecessor** द्वारा यह **Discuss** किया गया था । उसमें यह निर्णय लिया गया था कि 40प्रतिशत सदस्यों से तथा 60प्रतिशत सोसाईटी वहन करेगी । उसको नगण्य करके 50.00 लाख रूपये का **Extra Budget** बनाया गया है । इस सिक्यूरिटी से क्या फायदा हो रहा है वह हमको नजर नहीं आ रहा है । केवल गेट मैनेज करना । **Every Individual Office/ Member** के सिक्यूरिटी का आप क्या गारन्टी ले सकते हैं । **Up Infiltration because The Banks, Beauty Parlour, Offices** जो आपके सोसाईटी के अन्दर जमा हो गया है, और इसके कारण जो बाहरी लोगों का **Entry- Exit** होता है, इनको आप नहीं रोक सकते हैं । तो इस तरह के सिक्यूरिटी का क्या मतलब । **Morning** में हमलोग अपने पार्क में देखते हैं सैंकड़ों आदमी बाहर से आकर घूमता है । आप कहते हैं, इसको हम पास इश्यू करेंग कन्ट्रोल करेंगे लेकिन एक भी काम आपने नहीं किया है । और कहते हैं कि **Outside Agency** को सिक्यूरिटी देकर के हम रखे हैं । ये चीज ठीक नहीं है । हमारी सम्प्रभुता जो है, अशोक नगर कॉलोनी की जहाँ पर हमलोग 40—50 साल पहले आये थे, ये सोचकर कि एक स्वच्छ साथ सुथरा वातावरण में रहेंगे, उसको कंक्रीट लाईफ मत कीजिए । हमारे बुजूर्ग कहते थे कि हमलोगा जिन्दा है, इसलिए कि हमलाग स्वच्छ वातावरण में रहते हैं । इसको आप कंक्रीट का अशोक नगर बना रहे हैं । मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ । **Last Year Electric Repairing** में 2.00 लाख रूपया था, इस साल बढ़कर 6.00लाख रूपया हो गया है । **Maintenance of Plants & Parks in the Last Year** 1.00 लाख रूपया खर्चा था, वह इस साल 10.00 लाख का बजट है । **Restoraation - upgradation and**

Widening of Roads में 200.00 लाख का **Proposed** खर्च दिखाया गया है । क्या करना है, आपको समूचा रोड तो पक्के बने हुए हैं । एक आध रोड जैसा कि कह रहे हैं 7 नम्बर रोड का रिपेयर करना है । एक सिस्टम होता है । 2 वे ट्रैफिक हमारे कॉलोनी में है । उसमें 4 साल 5 साल पर रिपेयरिंग होता है । इसको नहीं करके आप रोड बनाईयेगा । कहाँ पर रोड बनाईयेगा, उसका डिटेल्स दीजिए । सोसाईटी मेम्बर **wants to know.** 200.00 लाख कहाँ पर खर्च कीजिएगा । ये तो हुआ बजट में जो प्रोभीजन है उसमें । **Maintenance of Building & Guard wall** में 5.00 लाख खर्च हुआ है, उसमें 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है ।

श्री चिदानन्द प्रसाद 51-सी

बजट बनाने की प्रक्रिया दोषपूर्ण है । इसमें **Revenue Receuot** में शो किया गया है, **Deposit Receipt** में शो किया गया है और **Capital Rexceipt** में शो किया गया है वह सही नहीं है । **Upgradation of Road** में जो 200.00लाख का प्रावधान किया गया है, उसका **Break Up** नहीं दिया गया है । **Bye-Laws** में **Ammedment** करने के लिए अलग से आमसभा बुलाई जाय ।

श्री आर0एन0झा- 424

मैं तकनिकी दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा और उस प्रस्ताव पर विचार करना चाहेंगे । लेकिन मैं रोड नम्बर 6 से विलौंग करता हूँ । रोड नम्बर 6 में पिछले 10 वर्षों साल से सप्लाई वाटर को बंद कर किसी खास सदस्य

को लाभ पहुँचाया जा रहा है । दूसरी बात प्लॉट नम्बर 423 के पास दो प्लॉट में 1 से डेढ़ फीट पानी हमेशा लगा रहता है जिसके कारण मच्छर से हमलोग परेशान हैं । वहाँ पर पक्का नाली की जरूरत है । इसके लिए भी मैंने निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों एवं बहुत से लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर मैं अपने रोड के लिए अनुरोध किया हूँ कि उसका काम करवाया जाय । पिछले 10 साल से उस रोड का रिपेयरिंग नही हुआ है । मैं अब **Technical** बात करता हूँ । निदेशक मण्डल आम सभा के प्रति जिम्मेवार होता है । मैं सहकारिता विभाग का रिटायर्ड ऑफीसर हूँ । इसलिए मैं **Co-operative** का **Technical** बात बताता हूँ। आमसभा के द्वारा निदेशक मण्डल का जो साल भर कर निर्णय लिया गया है ,उसकी सम्पुष्टि होनी चाहिए। उसकी सम्पुष्टि नही होती है । परिपाटी है, कि आमसभा की बैठक शुरू होती है, एक बजे या डेढ़ बजे तक चलता है, फिर लन्च बटा और लोग जाने लगते हैं । यह चीज खत्म हो । निदेशक मण्डल की जो बैठक होती है, उसमें जो प्रस्ताव पारित होते हैं, उसकी सूचना सभी सदस्यों को दी जाय ताकि सभी अवगत हो सकें और उसपर अपना विचार प्रकट कर सकें । और साल भर जो निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, उसकी सम्पुष्टि आमसभा के द्वारा होनी चाहिए ।

श्री अखौरी विनोद कृष्णा 187-सी

कई मुद्दों पर काफी चर्चा हो चुकी है इसलिए मैं ऐसे मुद्दे के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, जो अछूते रह गये हैं । एक सुरक्षा के बारे में लिखा गया है । प्वाईट नम्बर

(9) पूरे अशोक नगर में रौशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है । इस सम्बन्ध में मुझे कहना

है, कि जिस समय **Power failure** होता है उस समय विल्कुल घुप अंधेरा हो जाता है और सिक्यूरिटी की जो सिचुएशन है । आप अगर बचे हुए हैं तो आपका सौभाग्य है । इसलिए मेरा यह सजेशन है कि कुछ सोलर लाईट कुछ इन्टरभल पर कमसे कम हरेक कॉर्नर पर लगाईए । **Security Guard Switch on/off** करे । इसस मेन पावर फेल के समय सोसाईटी को अंधेरे से बचाया जा सके । मेरा कहना है, कि मार्केट कम्पलेक्स में लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । दूसरी बात है, कि दुकान का किराया बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है । इसके कारण दुकान चलाना असम्भव हो जायेगा । इसलिए हम चालते हैं इसको खतम कर दिया जाय । ऐसा क्यों प्रस्ताव लाते हैं जबकि यहां कोई सुविधा नहीं है। न सफाई की व्यवस्था है, न एप्रोच है, फुट फॉल विल्कुल नहीं है । खासकर **First Floor** में । यहाँ तक कि ग्राउन्डा फ्लोर का फर्स भी टूटा हुआ है । आपको देख-देख कर चलना होता है । और पता नहीं हमलोग क्या-क्या मेन्टेनेन्स के लिए खर्च कर रहे हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है, कि इस बारे में ध्यान दिया जाय । वाय-लॉज के बारे में जैसा सभी सदस्यों ने कहा, मैं समझता हूँ कि इस बारे में अलग से मीटिंग किया जाय और जो रिमार्क्स की बात हो रही है, कि क्यों एक **Amendment** लाया जाना चाहिए यह जरूर दिया जाय । वाय लॉज में **Amendment** का **Slow Process** होना चाहिए। एक साथ इतना **Amendment** होने से पूरा **Complection Change** हो जायगा । वैसे ही सोसाईटी का **Complection** खास करके वाय-लॉज के कारण गौन हो रहा है । वह चेंज होता चला जा रहा है । कॉलोनी में बहुत बड़े-बड़े प्रतिष्ठान बन गये हैं । **Development Charge** के बारे में कुछ फर्मूला है , उसे कठोरता से लागू कीजिए । कॉलोनी में बड़े-बड़े हॉस्पिटल, बड़े-बड़े बैंक बन गये हैं । इससे फुट फॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है । इनसिक्यूरिटी बढ़ रही है और सिक्यूरिटी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है ।

सुरक्षा के मामले में मुझे कहना है, **SIS** की जो सिक्यूरिटी है, वह अभी अच्छा है । लेकिन अगर किसी के सामने सिक्यूरिटी **Situation** उपस्थित होती है तो वो कहाँ पर **Contact** करे । इसके लिए कोई कन्ट्रोल नम्बर होना चाहिए जो इस मामले को कन्ट्रोल करे ।

श्रीमति इन्दिरा लक्ष्मी-344-बी

सुरक्षा की दृष्टि से मैं बोलना चाहती हूँ कि गेट नम्बर 1,2,3,4 और 6 में तो काफी सुरक्षा व्यवस्था किया गया है । वह बहुत ही खर्चीला है । इतना खर्चीला नहीं होना चाहिए । और दूसरी बात है, कि पीछे के गेट पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है जबकि **Nusence** ज्यादातर पीछे के गेट से ही होती है । अमलतास जो सोसाईटी के संसाधनों से काफी आमदनी कर रहे हैं, वह किसी भी तरह का चार्ज नहीं देते हैं और आराम से विजनेस चला रहे हैं । सुरक्षा के लिए जो चार्ज लिया जा रहा है, वह काफी अधिक है । बढ़ाने की एक सीमा होती है । शॉप जो सदस्य स्वयं चलाते हैं उनका भाड़ा कम कीजिए लेकिन जो भाड़ा पर दे दिये हैं उनका शॉप रद्द करके सोसाईटी सीधे भाड़ा पर दे और उससे आमदनी बढ़ाईए । बहुत धन्यवाद करती हूँ बोर्ड को कि थाना भवन खाली हो गया है । उसपर शॉपिंग कम्पलेक्स बनाया जाना चाहिए और जो सदस्य शॉप लेना चाहते हैं उनसे डिपॉजिट कराकर उसी पैसे से बनाया जाय । पहले भी मैंने कहा था कि कॉलोनी में नीम का पेड़ लगाया जाय जो अभीतक नहीं लगाया जा सका है । इस वारिश के मौसम में इसे अवश्य लगाने का प्रयास किया जाय ।

श्री पी0 के0 वर्मा, 155-सी

मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जो **Board of Directors** के द्वारा **Circulate** किया गया है **Ammedment of Bye-Laws** , हमलोग सब कोई जानते हैं कि जो भी नियम कानून बनता है वह सोसाईटी और समाज को **Regulate** करने के लिए बनता है ।

इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है । **Not a light** । हमलोग जब भी सर्विस किये हैं , कोई भी **proposal** अपने बॉस के पास ले गये, **Any time**, चाहे वो नियम कानून हो, चाहे **Financial** हो, चाहे कुछ भी हो बॉस ने हमेशा यह पूछा, क्यों, इसका कारण क्या है । **You Justified, there subjective, objective or modified. Unfortunately** जो **Ammedment** प्रस्ताव सर्कुलेट किया गया है, वह इनकम्पलीट है । उसके **First Colume** में **Existing Proposal** में जो आज के **provisions** है, वह दिये गये हैं । सेकेन्ड में प्रस्ताव है, **Ammedment** करने का वह दिया गया है । आखिर क्यों लाना चाहते हैं ? दूसरी बात कि मुझे जानकारी वरीय सदस्यों से मिली है, कि जब भी होता था तो **Extra Ordinary General Body Meeting Call** की जाती थी , इसकी गंभीरता को देखते हुए । अतः अध्यक्ष महोदय मेरा सुझाव है, कि आपकी इस कार्यावली को यथावत आपको वापस किया जाता है/ किया जाय । आप इसका विधिवत सृजन कर इसके औचित्य क्लीयर करें, क्यों चाहते हैं, और **Sufficient** समय देते हुए सदस्यगणों के बीच वितरण करें । **Extra Ordinary General Body meeting** बुलायें एवं उसपर निर्णय लें ।

Second है कार्यावली संख्या-4 वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट की घटनोत्तर स्वीकृति । जहाँ तक मुझे मालूम है, बजट की घटनोत्तर स्वीकृति नहीं होती है । अगर होती भी है, तो रिभीजन का काम उसी वर्ष में होता है जिस वर्ष में वह बजट लागू होता है । यदि किसी समय **B.O.D.** को यह महसूस हुआ कि जिस इकाई में जो पैसा **Sanction**

हुआ वह पैसा या तो ज्यादा है, या कम है, जिस समय भी आपने महशूस किया तो आपको **Accordingly** प्रस्ताव बनाना चाहिए था । आपको **A.G.M.** की बैठक बुलानी चाहिए थी, उसी वित्तीय वर्ष के दौरान यानि 31 मार्च,2023 के पहले । हमलोग सब कोई मानते हैं, कि राज्य सरकार की बजट, केन्द्र सरकार की बजट या कोई भी हो उसमें जब भी संशोधन की आवश्यकता होती है, इसलिए तो अनुपूरक बजट होता है । आखिर क्यों हमने कभी नहीं देखा कि पूर्ण बजट में ही घटनोत्तर स्वीकृति का डिमांड कर दिया । एक चीज और जो कुछ आईटम का जिक्र हम करेंगे । उसमें पहला आपने दिया है **Revision** । यद्यपि नहीं देना है । चूँकि वित्तीय वर्ष बीत गया है इसलिए **Relevant** यह है, कि जो **Sanction** था उसके विरुद्ध आपने क्या खर्च किया । वह **Receipt & Expenditure** को उसी **Formate** में बनाकर देना है, जिस **Formate** पर वह **Sanction** हुआ था । तो ये इसका **Expenditure Portion** में आप जाते हैं । उसमें एक चीज यह भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है **Receipt Section** में 2022–23 में है, **Interest on F.D.** में जो 21–22 में। इस सम्बन्ध में मैं यह चाहूँगा कि मैम्बर जबाव दें । यह आपके ही द्वारा प्रस्तुत किया गया है । मैं यह चाहूँगा कि जिस–जिस आईटम में बजट पारित है, उसी आईटम में **Expenditure** दिखाना है । कुछ मेम्बर ने आपको इस सम्बन्ध में चिट्ठी दिया है । यदि किसी आईटम में 0 **Expenditure** है, जो हो सकता है । **Shopping Complex** के सम्बन्ध में आपने लिखा है, कि 9.00 लाख रुपये प्रतिमाह प्राप्त होते हैं, जो गलत है । इससे स्पष्ट है, कि आपने प्रतिवेदन को गंभीरता से नहीं लिया है । आईटम नम्बर 7,9,10 और 13 को छोड़करके बाकी सभी मदों का **50%** यह **AGM** स्वीकृत करने के लिए मैं सभी मेम्बर

से अनुरोध करता हूँ ताकि कर्मचारियों का वेतन एवं **Daily Routine Work** चलता रहे ।

श्री बसंत प्रकाश 337-बी

वर्मा साहब ने बहुत अच्छे से **presentation** दिया है । ये जो **Accounting blunder** हुआ है, **Fixed Deposit** के सम्बन्ध में जो ये उजागर किया है । मुझे लगता है, कि बहुत बड़ा प्रॉब्लेम है । मुझे कई बार सोसाईटी ऑफिस आना पड़ता है, **Typing Error** की वजह से । ये कभी नाम भी ठीक से नहीं लिखते हैं । और ये जो **Blunder** है, वह असहनीय है । आपका जो **Accountant** है, उनका **Exclusively** काम **Account** देखना है । **Chartered Accountant** है, जिन्होंने यह पास किया है । आप सभी से यह बात करेंगे कि किस तरह से यह **Blunder** हो गया है । मैं दूसरे प्वाइंट पर आता हूँ । सबसे पहले मैं कार्यावली संख्या **7(A) P.P.Mode** पर आऊँगा । मैं **AGM** से यह **Request** करूँगा कि इसे तुरंत खारिज करे । यह **P.P.Mode** कहाँ से आ गया । ये अशोक नगर सोसाईटी प्राइवेट पार्टी है । आपके बोर्ड ने जो यह **Word use** किया है 'अनुपयुक्त व्यवसायिक क्षेत्र ' इसका आगे आनेवाले समय में दुरुपयोग करने का बहुत बड़ा संसाधन मिल जायेगा । इसलिए मैं इसको तुरंत खारिज करता हूँ और **Request** करूँगा कि **Withdraw** करें । दूसरा कार्यावली संख्या **7(B)** इसमें आपने आवासीय, गैर आवासीय और सुरक्षा को एक साथ कर दिया है । इसपर भी आपत्ति है । और दूसरी बात आवासीय में ये जो वर्तमान् में जो गैर आवासीय **Formula** आपने दिया है, वह विल्कुल गलत है । **Y+10Z** का जो फर्मूला है, वह बैंक के लिए है और आवासीय मं आप वर्तमान् में जो फर्मूला

दे रहे हैं वह गलत है । दूसरी बात कि **Mutation** इतना बड़ा **Issue** था हमारे **Election** में भी था और बाद में भी । इसको अचानक हमलोग भूल से गये हैं । इसपर भी अभी तक कुछ बात सामने नहीं आयी है । आपने कहा कि सारे मेम्बर अपना **Registered Deed Submit** नहीं किये हैं । मैं आपको बता दूँ कि जिस समय यह सोसाईटी बना था उस समय जमीन की कीमत बहुत कम थी । उस समय **Measurement** ठीक से नहीं हुआ था ।

श्री अखिलेश कुमार 413-बी

कोई भी चीज जो यहाँ **Discuss** हो रहा है वह हम सभी के **Benefit** के लिए हो रहा है । न कि हमारे **Against** में **Discuss** हो रहा है । **That means** कि हम किसी **particular issue** को हम **let down** कर रहे हैं । आज के डेट में मेरे हिसाब से ये जो ए0जी0एम0 है । ए0जी0एम0 बेसिकली **pass the Budget**. हमलोगों का ये **objective** होना चाहिए कि कैसे ये बजट हमलोग दें, जिससे कि सभी लोगों के लिए इसका **Best Result** मिल सके । हमलोग सिर्फ प्रॉब्लेम को शेयर करते हैं । **But What is the Solution. We must also come with advices at solution.** अगला हम **Revise** करें तो उस समय भी बहुत सारे आपत्ति आयेंगे ।

दूसरा जो **Ammendment of Bye-Laws** है उसका तो अभी नाम भी नहीं लेना चाहिए । उसके लिए **Special General Body meeting** होना चाहिए । दूसरा कि हमारा जो बजट होता है, उसे बहुत सारे लोग डेपथ में नहीं समझ पाते हैं । **Actual**

understand कि क्या हो रहा है, और क्या होनेवाला है । इसमें जो फॉर्मेट होता है, जो एकाउन्ट्स में बहुत जरूरी होता है उसको बोलते हैं **Consistency**. यह जैसा कि वर्मा साहब ने कहा है, वह बना रहना चाहिए । हमलोगों का एक **Natural instinct** होता है, कि हमारे जेब से पैसे नहीं निकले । **Unfortunately** पैसे जेब से नहीं निकले ये हमलोगों को **importance** देना है, क्योंकि सोसाईटी में हमारे जो मेम्बर हैं, वे **Different Situation** से हैं । दूसरी तरफ हमको यह भी देखना है, कि हमको सोसाईटी को मेन्टेन रखना है, उसको चलाना है तो **There is Cost factor** तो है । दूसरा जो यहाँ पर **Price Index** में **excellation** है, उसको अगर आप **over look** करते रहेंगे तो **ultimately** आप ये सोचिए कि आप आज से 15 साल पहले जब हमलोगों का **Development figure** रखा गया था, वो **figure** आज के डेट में अगर रखियेगा तो **Simply dose not apply**. जो पेट्रोल हमलोग 40-50 रुपये लीटर खरीदते थे आज 100 रुपया देते हैं । सब चीज होते हुए भी मेरे हिसाब से मैं जो प्रोपोजल देना चाहता हूँ ये कि किसी भी **individual** के जेब से एक भी पैसा न निकले । लेकिन प्वाइंट ये है कि अगर जेब से पैसा न निकले तो ये पैसा आयेगा कहाँ से । अभी हमारा जो **Situation** है, जो **figures** दिये गये हैं । हमने **Comperative** नहीं देखा है । **Last year** का जो हमारा था उसका बिना देखे हुए **I have taken it** कि जो फीगर दिया जा रहा है, उसके आधार पर जैसा कि सिन्हा साहब ने कम्पेयर किया है, उसके आधार पर । सबसे **Important** चीज है हमारा **Receipt** और दूसरा है हमारा **Expenses** । अगर हम देखेंगे कि **Wages and Salary** है या रूँ कहा जाय कि हमारे पास मेजर एरिया है वो क्या है । **Receipt** में हमारा **maintenance**

Charge है जो हमें **Revenue** देता है । **As per statement** 60.00 लाख प्रस्ताव के बदले 36.84 लाख प्राप्त हुआ । इसके बाद हमारा मेजर रिसिप्ट है रिजर्भसन चार्ज 5.57 लाख और **Rent from shops** 14.70 लाख **misc. receipt** में 8.73 लाख यानि सभी अनुमान से नीचे है । इस प्रकार टोटल जो **Revenue** आया है, वह 65.84 लाख है । यनि लगभग 66.00 लाख रूपया हमलोग पाते हैं । हमलोग अनुमान से **73%** ही **Revenue** प्राप्त किये हैं । **Actual receipt** के बाद हमलोग चलते हैं **Cash flow**. इसका दूसरा पार्ट होता है कि हमलोग पेमेन्ट क्या करते हैं । सरप्राईजिंग चीज है कि हमारा सीर्फ एक हेड है जो बहुत जरूरी है । वह है **Wages and Salary**. इसपर हमलोग 77.47 लाख खर्च करते हैं । **This is information for the members**. इस प्रकार हमलोग **Already Bank-crupt** हैं, क्योंकि जो पैसे आ रहे हैं, वह कम पड़ रहे हैं । तो यह चलता कैसे है ? **Essential** खर्च है 50.27 लाख रूपये । यानि कि हम सारा रोड बनाना छोड़ दें, सारा काम बन्द कर दे तो भी ये 50.27 लाख रूपये खर्च होगा । इस प्रकार हमलोग जरूरी खर्चा करते हैं तो 1.39 करोड़ खर्च होते हैं जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं । इसके बाद हमारा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है **Land sales**. इसपर हमने 2.00 करोड़ प्राप्त किया है। इसका **60%** लेने के बाद हमारा 1.13 कड़ोर रूपया है । अगर हम **10%** या **15%** मेन्टेनेन्स या शॉप से बढ़ायेंगे तो भी हमारा काम चलनेवाला नहीं है । इसका अल्टरनेटिव हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मद है, हमारा जिससे मेजर फंड हमारा आ रहा है, वह है **Plot Transfer** इसमें 1.5 लाख पर डिसमिल हमलोग चार्ज करते हैं ।

इसमें मेरा यह सजेशन है, कि इसको 1.5 लाख के जगह 2.5 लाख रूपया पर डिसमिल बढ़ा दिया जाय और उसका 60 प्रतिशत हम ले आये तो **We did not need to increase any expences.** ये हमारा आनेवाले 3-4 साल का सोल्यूशन हो जायेगा। और ये जरूरी भी है। लेकिन लॉग टर्म के लिए **We need to plan today** क्योंकि आनेवाले समय में **influation** के साथ ये कम पड़ने लगेगा। यहाँ पर जो **narrative** दिया गया है, **relating to the club take over. Let me tell you this is the court order. Not observation relating to the taking over the club.** यह सारे **Documents** को देखने के बाद हमलोगों को इसको डीटो करने की जरूरत है। आप इसको कोर्ट में ले जा सकते हैं। आपके पास तरीका है। लेकिन ये जनवरी का ऑर्डर है, इसको **Implement** होना चाहिए।

श्रीमति मुक्ति सिन्हा 73-डी

यहाँ पर जितने लोग बोले हैं, सभी सही बात बोले हैं। मैं सारे लोगों से सहमत हूँ। दूसरा जो ये सारे टैक्स में **Increase** किया गया है, वह इतना होना चाहिए कि हमलोग **efford** कर सकें। सब लोगों का अलग-अलग इनकम है। आपलोग जो बुक में छापे हैं, बाय लॉज और बजट, वह इंगलिश में है। सभी लोगों को खासकर अधिकांश महिलाओं को इंगलिश आती नहीं है। इसलिए हिन्दी में भी छपना चाहिए। ताकि हमलोग पढ़कर समझ सकें।

श्री यू0 पी0 सिंह 76-डी

बाय-लॉज जो हमारे सोसाईटी का रीड है, इसलिए इसमें एक अलग से डेट दिया

जाय और फिर **Discus** किया जाय । दूसरी अभी जो ये बात आयी है, कि सभी महिलाएँ **English** में नहीं समझ पाती है, इसलिए हिन्दी में भी अनुवाद किया जाना चाहिए ताकि सभी सभी समझ सकें और **Healthy Discus** हो सके । हम 508 भाईयों का यह सोसाईटी है, जिसका बहुत मेहनत का पैसा जमा है यहाँ । जैसा कि अभी बताया गया कि 15 लाख **Sanction** है और 30 लाख खर्च हो गया । ये नहीं होना चाहिए । दूसरी बात **Development** और **Security** बढ़ा दिया गया है, वह 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए । सिक्यूरिटी भी 300/-रूपया प्रतिमाह से ज्यादा नहीं होना चाहिए ।

श्री अरविन्द कुमार 181-सी

लगता है, कि हमलोगों के सोसाईटी में काफी **Enlightenment** आ गया है । और सोसाईटी जिस तरह से चल रही थी, चलाई जा रही थी उसमें चुस्ती-दुरुस्ती लाने की जरूरत है । काफी चर्चा बजट पर ही होते रहा और मैं तो **actually** सोचके यह आया था कि सोसाईटी के बारे में जो और कुछ ज्वलंत है, जो कोर्ट केश के सम्बन्ध में है, जो **Demand** है सोसाईटी पर और जिस **Demand** के कारण 8 मेम्बर पर मैं आज देख रहा हूँ कि **Contempt of Court** भी 2004 में हुआ है । उसके बाद जो इनलोगों को नाटिस है जिसमें **agregate demand** 25 कड़ोर है । हमलोगों का **Co-operative body** है और **Co-operative body** में और सरकारी **Structure** में बहुत **diference** होता है । अगर सरकारी **Structure** जैसा सबकुछ **regular** कीजिएगा तो **Co-operative body**

नहीं चलेगा । इसलिए **Co-operative body** के **regulation** में ये **constitutional amendment** हुआ जिसमें यह दिया गया कि जो **self supported society** है, **Regostrar** उसको कभी **suspend** नहीं कर सकता । **It was to facillate the co-operative body** क्यों **Co-operative body** जस्ट एक बालक जैसा होता है । और उसको आप **microscoping examine** करके कहिएगा कि आपमें यह फॉल्ट है । मैं मानता हूँ कि कुछ अशुद्धियाँ हुई हैं। हो सकता है, कि सिन्सियर तरीके से नहीं चलाया गया है लेकिन यह बोर्ड हमारा ही पार्ट है , दूसरे का पार्ट नहीं है । हमलोग जो स्वार्थ में वजत की बात करते हैं, आप ये देखिये न कि हमलोग कितना कन्ट्रीब्यूट करने के लिए पर्सनल तरीके से सक्षम हैं । हमलोग उसको एनालाईज नहीं करते हैं और जबतक उसको एनालाईज करके सोसाईटी में कन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे सोसाईटी का भविष्य अगर प्लॉट ट्रान्सफर पर रहेगा तो **It will be too in the coming time.** जो स्थिति थी 12-13 में पैसे नहीं थे चलाने के लिए और जब बढ़ाने के लिए होता था ये होता था कि साहब कहाँ के लोग पेन्सनर हैं । कुछ लोगों के वास्तव में इकोनॉमिक पोजीशन गड़बर थे । उस समय जब बढ़ाया गया था तो उस समय कहा गया था कि जिनकी स्थिति खराब होगा, उनका आवेदन आयेगा तो हम इसको **exempt** कर देंगे । यहाँ पर तो ऑफीसियल **WhatsApp** भी है, **Grivance** भी है जो सोसाईटी पर 25 करोड़ का डिमान्ड है । वह सोसाईटी पर नहीं है, सोसाईटी को केवल कॉपी दी जाती है । हमको आश्चर्य इस बात की होती है । यह 2003 का मामला था, लेकिन किसी ए0जी0एम0 में इस बात को नहीं लाया गया है सदस्य के बीच में। यह तो स्पष्ट है, कि इस ए0जी0एम0 में लाया गया है । लेकिन हमको दुख इस बात

का है कि इतने स्पीटेड, इतने इनलाईटेड होने के बाद भी इस बात पर कहीं चर्चा नहीं हुई। झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड एवीक्शन शूट में गया था जिसमें प्रतिवादी इन 8 लोगों को नहीं बनाया गया था । अशोक नगर सोसाईटी को प्रतिवादी बनाया गया था। और आज आपने उनलोगों को छोड़ दिया कि कोई मतलब नहीं है । उनका दोष यही था कि उनका प्लॉट उस 2.10 एकड़ से सम्बन्धित था जिस समय 152.00 एकड़ का एग्रीमेन्ट हुआ था हाउसिंग बोर्ड के साथ उस समय उस **Land** का **acquisition** नहीं हुआ था। इसलिए उसको **exclude** कर दिया गया । उसके बाद 1972 में **Housing Board** बना और 1982 में **Housing Board Act** बना । लेकिन इस आमसभा में बजट पर सभी माइक्रोस्कोप से देखता है लेकिन इस इश्यू पर कोई नहीं देखता है । उन्होने एक ड्राफ्ट सर्कुलेट किया 25.00 करोड़ के डिमान्ड पर । बोर्ड क्या करे । अब बोर्ड ये कहता है, कि हमारे उपर कोई बकाया नहीं है । हम जो पैसा दे चुके हैं 1980 में, **That is enough.** इसमें हमारा ये प्रस्ताव है, कि बोर्ड इसमें **actively act** करे, उसको **analize** करे और ये देखे कि अगर **eviction** में **judgment** है 1993 में तो 1993 का **Land acquisition** रेट अप्लाई होना चाहिए। उनलोगों ने जो **demand** दिया उसमें दिसम्बर 2022 का रेट दे दिया । 15 साल के बाद यह राशि 100 करोड़ हो जायेगा । उस समय ये लोग कहेंगे कि हमारे उपर जो डिमांड दिया जा रहा है, उसमें हमारी क्या गलती है । सोसाईटी ने हमसे परचेज प्राईस लिया है । क्लब जब बना था शुरु में ए0जी0एम0 या बोर्ड से । हमलोग बहुत नया नया थे उस समय । उस समय यही था कि क्लब तो हमारा बेबी है । इंडिपेन्डेन्ट कैसे होगा । हमने कहा था कि आप इन्डिपेन्डेन्ट बनिये लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है, कि

हमको घूरकर नहीं देखिये । हमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखिये । हमारा कहना है, कि ये लीगल ईश्यू है, **that should be attended**. जहाँ तक बाय लॉज की बात है, आपने सही कहा है, कि इसका कारण नहीं दिया हुआ है **amendment** का लेकिन आप बाय लॉज के लू फॉल्स जो है, **membership** के लिए जो एप्लाइ करते हैं । एक सज्जन जो कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रार थे । उन्होने अपना **application** दिया कि हमको सोसाईटी का मेम्बर बनाईए । हमको तो मेम्बर उसीको बनाना है, जिसके लिए किसी मेम्बर से सरेन्डर का प्रस्ताव आता है । अगर हम मेम्बर के लिस्ट में रख लेंगे तो फिर आगे क्या होगा सोसाईटी का ? और उन्होने सोसाईटी को सस्पेंड कर दिया । इस सम्बन्ध में तबतक मेम्बर नहीं बनाये जायेंगे जबतक कि उनके पक्ष में सरेन्डर का प्रस्ताव नहीं आता है । मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि आपलोगों का कार्यकाल अभी ज्यादा है, इसलिए यह देखेंगे कि कहीं कोई **spelling** या अन्य कोई गलती न हो ।

महेश्वरी प्रसाद 162—डी

Dues का लिस्ट जो अभी दिया गया है, उसमें चार प्लॉट है उसमें काफी बकाया है । उसकी वसूली के लिए एक कमिटी बनाया जाय जो इसका सुझाव दे सके । आपने जो टैक्स बढ़ाया है उसमें **Built-up area** पर ही रखिये । पहले का जो फर्मूला है, उसमें थोड़ा बढ़ा दीजिए । बाकी जो पीसफुल में टैक्स लेते हैं लेकिन जहाँ स्कूल चल रहा है और जिसके कारण काफी बस एवं गाड़ियों का आना जाना रहता है, उसका बढ़ा दीजिए क्योंकि वह उससे कमा भी रहे हैं । बाय लॉज के बारे में जो अरविन्द बाबू ने कहा है, उसमें जहाँ

फॉल्ट है, उसको दूर कर लीजिए लेकिन रीजन का उल्लेख जरूर करें। टैक्स में जो

Built-up area जो हमलोगों ने सर्वे कराया था उसको नहीं इन्क्लूड किया गया है ।

उसको इन्क्लूड कराईए जिससे कि हमलोगों को और रिसोर्सज आ सके ।

श्री अरुण कुमार 197—सी

सबसे पहले मैं सभी सम्मानित सदस्यों को यह कहना चाहता हूँ कि इस ए0जी0एम0 की बैठक को सदन समझने की गलती न की जाय जहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में साहबानो केश के जजमेंट को उलट देने का राईट रखते हैं । लॉ बनाने का काम आप कर सकते हैं, तो कर लीजिए। क्या बोर्ड पार्लियामेन्ट या एसेम्बली है जो लॉ बना सकता है । जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो न्याय पारित हो रहा है, उसके जजमेन्ट को आप उलट सकते हैं । मेरा मानना है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं । इसी परिपेक्ष में कुछ एजेन्डे को देखना चाहिए। कुछ एजेन्डे हैं, जिसके बारे में मैं डायरेक्टली बोलने से बचूंगा । इससे हल्ला हंगामा होगा । हल्ला हंगामा से कोई बात नहीं बनती । आप सदन या एसेम्बली नहीं हैं। आप कानून नहीं बना सकते । कानून के प्रावधानों को बदल नहीं सकते हैं । मेम्बरशीप बढ़ाने का । सरकारी नौकर जिनको कोई भी मेम्बर ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसको आप मेम्बर बना लेते हैं । इस सम्बन्ध में मेम्बर को भी खबर कीजिएगा न । ये बेरिकेटिंग करके रखे हैं कि किसको आप सरकारी मेम्बर ट्रीट करेंगे । आप सरकारी मेम्बर डिफाईन कर दीजिए । और जो डिफाईन है, उसको बोर्ड या सेक्रेटरी या ए0जी0एम0 री-डिफाईन नहीं कर सकते हैं । हमारे अखिलेश बाबू की बात आ रही थी कि हम प्लॉटों को जो ट्रांसफर करते हैं उससे हमारी आमदनी जीरो हो जायेगा । यह स्काईलाइन जो कहत हैं वह बेसिक

लाईन ऑफ द सोसाईटी चेंज कर रहा है । 2020 से बहुत नये मेम्बर आ रहे हैं । आज से 15 वर्ष पहले जो ए0जी0एम0 होता था उसमें बहुत कम नये मेम्बर होते थे । इसलिए हम अखिलेश जी से कहेंगे कि ऐसी आशा रखकर बजट न बनायें । लेकिन इन्क्रिमेंट तो करना पड़ेगा । जो यहाँ पर एकटीविटी को बढ़ा रहे हैं । उनको तो पे करना पड़ेगा । स्कूल आप खोलियेगा । आज चार मकान राँची में रख करके दूसरे मकान में रहियेगा और एक मकान में हॉस्पिटल खोलियेगा, एक मकान में नर्सिंग होम खोलियेगा और इन्क्रिमेंट बढ़ाईयेगा हमारे उपर, ये नहीं चलेगा । यह रेशनलाईज कीजिएगा । आप कॉमर्शियल एकटीविटी चलाते हैं और कहते हैं कि दो रुपया स्क्वायर फीट मेम्बर से भी लीजियेगा और दो रुपया नॉन मेम्बर से भी लीजियेगा । यह नहीं चलेगा । आप देख लीजिये 140 रुपये से 150 रुपये स्क्वायर फीट रेंटल यहाँ मिलेगा । हम तीन रुपये रेंटल देंगे । आप दुकान मत चलाईये । सरेन्डर कर दीजिए दुकान कॉओपरेटिव को । बजट के बारे में जो वर्मा साहब ने एक्सप्लेन किया । मुझे कहना है, कि यह **Government Department** का बजट नहीं है कि **post Fecto sanction** नहीं दिया जा सकता । इसका ऑडिट कराकर अगर यह कहा जाता है, कि सही में यह खर्च हुआ है, तो उसको रेगुलराईज करने के लिए बोर्ड से लाना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा ।

श्री बी0 के0 मिश्रा-60-डी

हमारा कहना है, कि कोई भी सोसाईटी में मेन्टेनेन्स चार्ज इसलिए दिया जाता है, कि साफ-सफाई करना, बिजली-पानी की व्यवस्था करना, रोड बनाना, नाली बनाना इन्ही

सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए मेन्टेनेन्स चार्ज लिया जाता है । **Time to Time** पिछले बोर्ड को हमलोगों ने गाली दिया है । भर्चुअली हमलोगों ने गाली दिया है इसके लिए । अरे भाई कहाँ से होगा, हमलोग पैसा नहीं देंगे तो । हमारे बोर्ड ने अभी जो **Proposal A B C D** का **Formula** निकाला था वह **maintenance** का जो **calculation** है उसका सरलीकरण के लिए निकाला था । **Otherwise** हमारे पास पुराना **method** तो है ही । उसी के हिसाब से **proportionate** में **calculation** कर लिया जाय । कुछ मेम्बर का **Flat** भी होगा या आसपास के फ्लैट में देखते होंगे कि कम से कम दो हजार रूपया देते हैं । हम एक हजार पाँच सौ रूपया देने के लिए तैयार नहीं हैं कहते हैं बहुत ज्यादा है । मेरा सुझाव होगा कि प्लॉट ऐरिया और **Built up area** उसमें कितना कॉमर्शियल है, कितना रेसीडेन्शियल है, उसके हिसाब से **maintenance cost** का **calculation** निकालें । लोग ऐसा ही चाहते हैं तो उसी तरह से कीजिए लेकिन **maintenance cost** तो बढ़ाना ही होगा । दूसरी बात है सिक्यूरिटी । हमलोग हर बार बोलते हैं **Whats App** पर **Grivance** में कि हमलोगों को सिक्यूरिटी नहीं मिल रहा है । लेडीज को असुरक्षा है । पिछला बोर्ड जो चला गया उसमें भी यह बात उठायी गयी थी । पिछले बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि हम **private Security** करेंगे । **60-40 Mode** में हम **private Security** लायेंगे । हम इस बोर्ड से भी यही कहेंगे कि आप जो लाये हैं उसमें **60-40** मोड से खर्चा कीजिए । बाद में अगर नहीं होता है, तो फिर ए0 जी0 एम0 बुलाईए और फिर इसको पुट-अप कीजिए । लेकिन पुट-अप करने के पहले आप उस मद में क्या-क्या खर्चा हो रहा है, कितने सिक्यूरिटी हैं, कौन सिक्यूरिटी किस मद में इम्पलाई हो रहे हैं । कौन से गेट ऑपरेट कर रहे हैं । ये

सारा का विवरणी दीजिए कि उसमें कितना खर्चा आ रहा है । तब लोगों को यह लगेगा कि वास्तव में कितना खर्चा आ रहा है । दूसरी बात है, क्लब और मंदिर के बारे में । क्लब यहाँ के मेम्बर ने ही बनाया है, न कि कोई बाहर से आकर या फैमिली मेम्बर न नही बनाया है । क्लब के लिए जमीन सोसाईटी न दिया है । इसके लिए रोड हम देते हैं, सिक्यूरिटी हम देते हैं, लाईट, पानी हम देते हैं । इसका होल्डिंग टैक्स हम देते हैं । जब इतनी चीजें हम दे रहे हैं तो हमारा कन्ट्रोल क्यों नही होना चाहिए । हम कहते हैं कि मंदिर हो चाहे क्लब हो स्वतंत्र ही चले, लेकिन उसका **Election** सोसाईटी के द्वारा ही होना चाहिए । न कि किसी घर के सदस्य द्वारा । एक ही घर के दस-दस सदस्य मेम्बर हो गये हैं । कृपया इसको देख लीजिए । दूसरा है बाय लॉज । बाय लॉज में लोगों ने कह दिया कि बाय लॉज में हमने तरह-तरह का एरिया दिये हैं मेम्बर बनाने के लिए जैसे कि **High Court and Suprim Court** के जज जो झारखण्ड बार से गये हों उनको बनाने का प्रस्ताव दिया है, तो क्यों नही झारखण्ड बार के लॉ अफसर को भी बनायें । उनको क्यों छोड़ रहे हैं । लोगों का कहना है, कि बाय लॉज पर अलग से **Discuss** किया जाय तो इसपर अलग से **Discuss** हो ।

श्री आर० के० सिंह 469-सी

सभी **Points** पर काफी **Discuss** हो चुका है । मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूँ । मेरा ख्याल है, कि सिक्यूरिटी में जो अभी 100/-रूपया है, उसको 300/-रूपया किया जाय । हमारे **Premises** में **TOP** है, उसका **advantage** हमलोगों को कुछ नही मिलता है । बोर्ड से मेरा निवेदन है, कि इसको हमलोग ऐसा करें कि हमारे मेम्बर्स को थोड़ा सुविधा

मिल सके। यहाँ पर कोई कम्प्लेन लेकर हमलोग जाते हैं तो नहीं ली जाती है। इसकी सुविधा बढ़ाई जाय। कॉरपोरेशन से भी हमलोगों को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। बोर्ड के प्रयाश से काफी सुविधा मिली है। काफी कचड़ा उठाता है और ले जाता है। हमलोगों को झीरी ले जाने में काफी पैसा लगता था वह बच रहा है। यह बहुत बड़ा **achievement** है। फिर भी कारपोरेशन से फॉगिंग नहीं होती है। पहले होती थी, जो अभी बन्द हो गया है। इसके लिए बोर्ड प्रयाश करे। तीसरी बात है **maintenance charge** को चेंज करने के लिए। पहले से जो चला आ रहा है, उसको हमलोग चालू रखें। आवश्यकता होगी तो उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह **system change** नहीं किया जाय।

श्री दिलेश्वर प्रसाद सिंह 366—ए

मैं दो ही बात बोलना चाहता हूँ। ये जो **Renovation and widening of road, Drain, culvert, paver, boundaty wall** है, किसी को कोई जरूरत नहीं है। हमलोग रोड के इंजीनियर रहे हैं। यहाँ के रोड को अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर ट्रेफिक कहाँ है। इसलिए ड्रॉप कीजिए इसको। अगर इस साल काम हुआ है, तो पाँच साल बाद कीजिए। इसपर बेकार का खर्च मत कीजिए।

परमात्मा सिंह 233—सी

मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। सबलोग बोल चुके हैं। मैं माहौल को कुछ हल्का करना चाहता हूँ। लेना सब कोई चाहता है, लेकिन देना कोई नहीं चाहता।

एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ । एक पान खानेवाला पान दुकान पर गया और पैसा देकर पान लगाने के लिए बोला और बोलने लगा कि ये डाल देना , वो डाल देना । उसकी बातों से आजिज होकर दुकान वाले ने कहा कि सर आपने जो चौअन्नी दिया है, वह भी इसी में डाल देता हूँ । वर्मा साहब ने ,हमारे प्रदीप कुमार साहब ने सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया । मैंहगाई बढ़ी है, खर्च बढ़ेगा और उसके बीच में एक बैलेंस बजट कैसे बनाना चाहिए । हमलोग सब डिपार्टमेंट में काम करनेवाले हैं । आप घर परिवार चलाते हैं । आप जानते हैं कि मेरा आमदनी कितना है । बिना किसी दबाव के । और इसी हिसाब से हम बजट बनाते हैं । हमारा बजट का भी आकलन होना चाहिए कि सदस्यों को कम से कम दबाव देते हुए कितना में सही बजट बन सकता है । मैंने एक सुझाव दिया था बहुत पहले **Whats App** पर । आजकल तो **Whats App** पर लिखने का भी मतलब गलत निकाला जाता है । आमदनी को बढ़ाना है और जो खर्च है उसको थोरा सा नीचे करना है । मेरे ख्याल से पहले जो **measurement** हुआ था प्लॉट एरिया और बिल्ट अप एरिया का उसीको आधार बनाकर बढ़ाया जाना चाहिए । सिक्यूरिटी में अभी 50.00 लाख रूपया खर्च आता है । उसे हमने कहा था कि इसको कम करके 36.00लाख रूपया लाया जाय । आगे भविष्य मे जो आयेगा उसका हमलोग आकलन करेंगे । मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा सोसाईटी कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट के अनुसार चलेगा न कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट सोसाईटी के अनुसार चलेगा । यह जो क्लब है, उसको साल में 5.00लाख रूपया रेमेन्यू आता है और उसके चलते हमारा कॉलोनी हमेशा डिस्टर्व रहता है । इससे बढ़िया है,

कि बूकिंग बन्द कीजिए । मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लब चलना चाहिए लेकिन उसका जो रेभेन्यू पर कन्ट्रोल हमारे सोसाईटी का होना चाहिए ताकि हम अपने खर्च को मीट कर सकें । इससे हमारा आमदनी 40-50 लाख रूपया होता है । उसीसे हमारे सिक्यूरिटी का खर्च मीट हो जायेगा । आप बेसक हाई कोर्ट में जाईए । लेकिन जबतक हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर नही आ जाता है तबतक लोअर कोर्ट का आदेश ही लागू रहेगा । दूसरी बात हमलोग जो पेभर ब्लॉक लगा रहे हैं । अगर हमलोग सरकारी विभाग में प्रयाश करते तो हमारा काफी पैसा बच जाता ।

श्री प्रणय कुमार 258-सी

मैं चाहता हूँ कि सभी सदस्यों को 8 प्लॉट के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाय ताकि वे भी वस्तुस्थिति के बारे में जान सकें । दूसरा इन 8 प्लॉटों के बारे में एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया जाय जो इस मामले में विचार कर निर्णय ले सके । इसे अधिक लोगों के हस्तक्षेप में नही दिया जा सकता । इस कमिटी में सिविल लॉ के वकीलों को रखना आवश्यक है जो आपको सहयोग करेंगे और आवास बोर्ड से कानूनी पहलू पर वार्ता कर समस्या के सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई करेंगे । एक बात हमको पता चला है, कि मंदिर की जमीन के लिए सोसाईटी को पैसा दिया गया है । वह जमीन यूँ ही नही मंदिर को दी गयी है । **Mentainance charge** और **Security charge** के सम्बन्ध में कहना है, कि 2012 में **price index** 112 था जो आज 173 हो गया है । उसी **proportionate** में **D.A.** भी बढ़ता है । उसी तरह **Mentainance charge** और **Security charge** भी बढ़ना चाहिए ।

श्री राम सुन्दर दसौधी 481-सी

यह बोर्ड इनर्जेटिक मेम्बर्स के द्वारा रिप्रेजेन्टेड है और यह हमलोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है । यह बोर्ड बड़ी उर्जा के साथ काम कर रहा है । इसने सबसे महत्वपूर्ण काम किया है । इसपर अभीतक हम चर्चा नहीं कर पाये हैं । इन्होंने पार्क में जो गलत म्यूटेशन कराया गया था, जिसके कारण सोसाईटी के वर्कर्स काम नहीं कर पाते थे, उसको उन्होंने म्यूटेशन को कैंसिल कराया है । इसके लिए इनलोगों को धन्यवाद देना चाहिए । दूसरा पुराना थाना बिल्डिंग का **Demolation** यह दसों साल से नहीं हो पा रहा था, खाली नहीं कर रहा था, उसको इन्होंने खाली करवाकर **Demolation** करवाया है । पेभर ब्लॉक लगवाया, रोड बनवाया, ड्रेन बनवाया, सिक्यूरिटी में चेंज कराया है । वेवसाईट में सुधार कराया जा रहा है । यह भी एक प्रशंसनीय काम है । 22-23 के संशोधित बजट का घटनोत्तर अनुमोदन । इसमें कुछ **Error** है । आगे से इसमें ऐसा **Error** नहीं होना चाहिए, ऐसा रिमार्क के साथ इसको अनुमोदित किया जाना चाहिए । दूसरी बात 23-24 का जो बजट इन्होंने दिया है, उसमें जो **provision** है, **maintenance and security** का अलग-अलग करने का वह सही है । दूसरा है मेम्बरशिप फी जो कि इन्होंने 100.00लाख लिखा है । यह बहुत ही कम है । पिछले सात 200.00 लाख लिखा था । कमसे कम उतना होना चाहिए ताकि हमारा जो टैक्स बढ़ रहा है वह कम हो सके । शेष बजट को **50%** अभी पारित किया जाय बाकी सुधार करने के बाद पास किया जाना चाहिए । **Bye Laws** के बारे हमारा विचार है, कि अलग से ए0जी0एम0 बुलाकर **Ammendment** पर विस्तार से चर्चा होना चाहिए । महिला सदस्य का कहना था कि इसको हिन्दी भर्सन में किया जाना

चाहिए उसका मैं समर्थन करता हूँ । **Fund Generation** के लिए जो **P.P. Mode** लाया जा रहा है, यह अच्छा है, कि आम सदस्यों को स्वीकार्य नहीं है इसलिए इसको डिफर होना चाहिए । इस विवाद को अनावश्यक बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है । आवासीय और गैर आवासीय शुल्क के बारे में मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि फर्मूला को चेंज किये बिना **10%** या **15%** जो भी हो बढ़ा देना चाहिए । **Price index** के हिसाब से प्रस्ताव लाना चाहिए । गैर आवासीय के सम्बन्ध में मुझे कहना है, कि पहले की तरह **Y+20Z** के हिसाब से लीजिए । इसमें कोई छूट देने की आवश्यकता नहीं है । इसमें भी **Price index** के हिसाब से बढ़ोत्तरी होना चाहिए । किसी खास कटेगरी को छोड़ना सही नहीं है । जहाँ तक व्यवसायिक भवन के सम्बन्ध में मेरा कहना है, कि यह मैम्बर लोगों का ही है जो कुछ तो किराया पर देकर चला रहे हैं और कुछ खुद चला रही हैं । उसमें एक महिला मेम्बर है, जो बता रही हैं कि हम 15,000/- रुपया साल में सोसाईटी को देते हैं और 4000/- मासिक किराया लेते हैं । अगर इसको हम 10 गुणा बढ़ा देंगे तो 1.5 लाख रुपया वे कहाँ से दे पायेगा । इसको भी **Price index** के हिसाब से बढ़ाईए । सिक्यूरिटी का जहाँ तक बात है 60-40 का फर्मूला है । उसके हिसाब से 300/-रु0 लीजिए । 2.1 एकड़ के बारे में अरविन्द बाबू ने विस्तार से बताया है उस चिट्ठी के **proposal** में 04.04.2004 का श्री आर0 आर0 प्रसाद की जो चिट्ठी है उसके अनुसार कार्रवाई होना चाहिए । क्लब के बारे में जो कोर्ट का आदेश है, उसके अनुसार काम होना चाहिए । म्यूटेशन के बारे में कहाँ तक कार्रवाई हुई उसकी सूचना देते हुए आगे की कार्रवाई होनी चाहिए । एक

टैंकर हायर पर लेकर पेमेंट लेकर सदस्यों को पानी की आपूर्ति की जाय ।

श्री ओ० पी० लाल 186—सी

सभी लोगों ने सभी विषय पर बोला लेकिन पर्यावरण के बारे में किसी ने नहीं बोला । जबकि पर्यावरण ही जीवन है । अभी हम देख रहे थे कि बजट में **maintenance of plants and parks** पर 10.00 लाख का प्रोजेक्शन था । उसको **Revise** किया गया 2.00 लाख और उसमें भी खर्च हुआ मात्र 65.00 हजार । इसका मतलब है, कि ये जो **subject** है, इसको नेगलेट किया जा रहा है । जबकि यह हम लोगों का लाईफ लाईन है । कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग एक कमिटी बनाया करते थे यहाँ पर जिसमें जानकार लोग रहते थे । जैसे स्व० बी०डी०भगत, मैं और भी कई पर्यावरण के जानकार लोग होते थे । हम लोग पेड़ लाते थे और **Department** से भी लाते थे । वो चीज हम लोग थोड़ा नेगलेट कर रहे हैं । पर्यावरण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं । इसके पहले वाले बोर्ड ने भी किया और ये भी कर रहे हैं । इसपर ध्यान देने की जरूरत है । ये जो पार्क है, वह ग्राउन्ड बन गया है । उसमें प्लांट्स हैं ही नहीं । किसी जमाने में यह कितना अच्छा हुआ करता था । ये जो आज आप हरियाली देख रहे हैं ये उसी समय का लगाया हुआ था । हमारा अनुरोध होगा कि उसपर ध्यान रखिये और जो **provision** है बजट का उसपर ध्यान रखिये ।

श्री वी० पी० सिन्हा 39—सी

आप सबको मैं साधुवाद दूंगा, इसलिए कि हमारे कॉलोनी में जो कूड़ा—कचड़ा फैला रहता था उसको आपने साफ कराया । दूसरा काम है ओपन जिम जो आपने शुरुआत की

है वह बहुत ही अच्छी पहल है । तीसरा पेभर ब्लॉक जो लगाया है वा अच्छा काम हुआ है । इसके लिए बोर्ड को बहुत धन्यवाद देता हूँ । एक काम जिससे मुझे बहुत दुख हुआ वह है, कि गार्ड लोगों को आपने निकाल दिया । ठीक है, वो सक्षम नहीं थे, लेकिन बहुत ही गरीब लोग थे । उनके प्रति संवेदना हमारे अन्दर होनी चाहिए थी । उन्हे काम पर रखना चाहिए था । उन्हे किसी और काम में लगा देते । आपको मालूम ही होगा कि उसमें एक गार्ड की मृत्यु भी हो गयी । मुझे सुनकर बहुत तकलीफ हुई । एक शेर के साथ शुरूआज करता हूँ

' हर एक बात में पूछते हो कि माजरा क्या है, अब तू ही बता दे कि आखिर गुफ्तगू क्या है ' ये गुफ्तगू यहाँ से शुरू होती है कि ये जो सिक्यूरिटी पर हमलोग जो खर्च कर रहे हैं उसे मेरे ख्याल से इससे दूरी बनानी चाहिए । इसलिए कि अशोक नगर को वार जोन बनाने की जरूरत नहीं है । कुछ लोगों ने हमारे कॉलोनी को नोएडा से तो कुछ लोगों ने होटवार से कम्पेयर किया । मैं इसका कम्पेयर करता हूँ मेकन कॉलोनी से सी0सी0एल0 कॉलोनी से या सी0एम0पी0डी0आई0 से । ये एक टाउनशिप है । जहाँ बैंक्स है, गेस्ट हाउस हैं,स्कूल है, कार्यालय है । यहाँ लोग आयेंगे, जायेंगे सारे दरवाजे खुले रहेंगे । आप लाख स्टीकर लगा दीजिए, लोग तो आयेंगे ही । इसलिए हमें इतने मँहगे सिक्यूरिटी की जरूरत नहीं कि जिसके लिए 50 लाख लगेंगे । जिनको सिक्यूरिटी की ज्यादा जरूरत है, वो अपना पर्सनल सिक्यूरिटी रख लें । हमें यह नहीं भूलनी चाहिए कि यह **Retired** लोगों की कॉलोनी है । जिनका पेंशन वैसे ही 50 प्रतिशत हो जाता है । इसको ध्यान में रखा जाय ।

श्री मनीष कुमार शॉ 300—सी

मैं 2.1 एकड़ के बारे में बात कहना चाहता हूँ । मैं एक **affected party** हूँ । और सर

बीस साल से यह केश चल रहा है । इन बीस साल में तीन या चार बार ये मुद्दा उठा है और हर बार 5 मिनट के अन्दर ये मुद्दा गौण हो चुका है । आज रोते-रोते मैं यह अहसास करता हूँ और आपसे यह विनती करता हूँ कि इस मुद्दे को **proper action** लिया जाय । इसको बीच में न छोरा जाय । क्योंकि उस समय यह एक करोड़ या नब्बे लाख का मामला था, जो आज 25 करोड़ का हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय का भाषण

विभिन्न विषयों पर सदस्यो ने अपने-अपने विचार रखा । सभी ने धैर्य पूर्वक सुना । कोई शोर-शराबा नहीं हुआ ।

बजट के बारे में वर्मा साहब ने बहुत कहा । वर्मा साहब भी **HOF** रहे हैं और मैं भी 32 साल तक **Finance** का बजट बनाया हूँ । कुछ त्रुटियाँ हो सकती है । ये **established/professional** ऑफिस नहीं है । लेकिन जहाँ तक उन्होंने कहा कि **Government** में **Revise Budget** नहीं होते हैं, सबकुछ होते हैं । लेकिन वर्मा साहब शायद मिस किये होंगे लेकिन अगर किसी मद में **Excess payment against the budget** होता है उसको **CAG** लिखता है, कि इसको आप विधान सभा या आम सभा से **Regularise** करा लें । हमलोगों ने सोचा कि 31 मार्च के पहले बजट पास होने थे लेकिन किन्ही कारण से अनेकों कारणों से हम यह नहीं करा पाये । तो हमलोगों ने यह सोचा कि बताना चाहिए सोसाईटी को कि हमलोगों के बजट **outlay** में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । बजट हमेशा **estimation** पर चलता है । यह राशि हमको प्राप्त होगी, नहीं होगी ।

हमलोगों ने यह सोचा कि मेम्बर्स को बताऊँ और इसके पहले भी हर तीन महीने का व्यय जो **Grivance** और सोशल मिडिया के माध्यम से सदस्यों को अवगत कराता रहा हूँ ताकि कोई गरबड़ी या अनियमितता हो रही है तो सुचित करेंगे और उसपर हमलोग कार्रवाई करेंगे। बात रह गई इस बजट की तो इसको पास करना, न करना यह आमसभा की बात है। हमलोगों ने अपना प्रस्ताव दिया है। आप पारित करना चाहेंगे तो हो, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगा। बात रह गई मेन्टेनेन्स की। बहुत लोगों ने शॉप पर बात किया है। मैंने लिखा है, दो में से एक होगा, चित भी मेरा, पट भी मेरा, ऐसा नहीं होगा। जो हमने डाला है, कार्यावली टिप्पणी में उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। सभी सदस्यों को एजेन्डा भेजने के लिए **Ammendment** के लिए कमिटी बनी थी। जो भी विकास कार्य हुए हैं, वो सभी जो आठ-दस कमिटी बनी थी, उसी की अनुशंसा पर हुए हैं। **Technical Team** बनी हुई है। आपको बता दूँ कि एक भी एजेन्सी का चयन केवल बोर्ड ने नहीं किया है। कई सदस्यों को आमंत्रित किया जाता रहा है एवं निर्णय लिया जाता है एजेन्सी के चयन एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में।

दूसरी बात यह कहना है, लोग कहते हैं, यह 10 गुणा बढ़ गया 15 गुणा बढ़ गया। हो सकता है। हम कहते हैं गुणा नहीं बढ़ा है, रेशनलाईज्ड हुआ है। अगर आपको लगता है, कि राशि बहुत अधिक है, तो फर्मूला आपको बताना चाहिए। तैयार होके आना चाहिए। हमने इस विषय पर चार-पाँच दिनों में 60-70 लोगों से विचार विमर्श भी किया है। एक बहुत अच्छा सुझाव आया कि मरमरिंग हो रही है कि प्लॉट ए में जिसने 1500 वर्गफुट में मकान बनाया है, उसको 12000/- रूपया लगेगा।

प्लॉट वाईज निर्धारण इसलिए किया गया था कि इसके लिए जो कमिटी बनी थी उसने काफी प्रयाश के बाद एक फर्मूला का अनुशंसा किया , उसको हमने सभी सदस्यों को बटवाया था । फिर ये कहना है, कि 10 गुणा, 5 गुणा तो दो में से एक चीज पर चलना होगा । मेन्टेनेन्स की बात, सिक्यूरिटी की चर्चा हमेशा होती थी ।

लोग कहते हैं कि पूर्व के बोर्ड द्वारा या ए0जी0एम0 द्वारा 60 और 40: की बात हुई थी । हम यह राशि कहाँ से देंगे । हमारे पास संसाधन रहेगा तभी न । अगर ये लगता हो कि सिक्यूरिटी की जरूरत नहीं है, **Security withdraw** कराईए । बोर्ड का कोई ईगो नहीं है ।

अब लैंड ट्रान्सफर की बात करते हैं हमलोग । लैंड ट्रान्सफर में अखिलेश जी और कई सदस्यों ने बताया 60—40 की बात । **Land Transfer** में **certainty** नहीं है । हम 10 साल का भी **average** निकाल दें । आज के दिन में 2023—24 में एक भी प्लॉट का हमलोगों ने नहीं किया है । इसके आधार पर बजट तो हम नहीं बना सकते । वर्मा साहब को यह भी ख्याल होगा कि जब **Revenue Receipt & expenditure statement state Govt.** का बनता है , जो गैप होता है उसको कहते हैं **Funding from the other sources i.e. financial institution.** ये होता है । तीसरी बात हम कहना चाहते हैं 70 या 80 के दशक में जो **shoping complex** बना वह उस समय की आवश्यकता थी । अच्छा काम हुआ है, लेकिन आज हमको **shoping complex** से प्रतिवर्ष 9 से 12 लाख रूपया प्राप्त होता है । जबकि उसका होल्डिंग भी हम ही देते हैं । आज 14 लाख रूपया पेनाल्टी के साथ होल्डिंग का बकाया है । और हमे 2 से 5 रूपया प्रति वर्गफुट किराया मिलता है । इसलिए 10 गुणा या 15 गुणा की बात न करें कोई ? क्या आज इस

इलाके में 5-10 रुपये प्रति वर्गफुट पर जगह मिलेंगे ? दुकान आवंटन के समय **concept** था कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, समय सबके लिए एक समान नहीं होता कि आप अच्छे हो गये तो बच्चे भी अच्छे होंगे । रोजी-रोजगार का एक साधन होगा । लेकिन आज के डेट में **98% shopping complex** के **premises** को **Rent** पर लगा रखा है, जिसका अधिकार आपको कानूनी तौर पर नहीं है । इसे **justify** करने का अधिकार किसी को नहीं है कि हम किसी को किराया पर दें और वो किसी दूसरे को किराये पर दे दे। **shop** आपको दिये गये है, वो आपको लीज पर दिये गये हैं । उसका आपको टाइटल नहीं दिया गया है । लीज का एग्रीमेन्ट के पारा 16,17 और 18 में यह उल्लेख किया गया है

" No sub-letting shall be allowed by the lessee and any sub-letting will be considered fully unauthorized.

17- In the event of sub-letting by the lessee detected at any time the lessee shall have to vacate the shop & the premises within a maximum period of one month from the date issue of letter from the society regarding this.

18- For the period of sub-letting, detected at any time the lessee shall be liable to pay a penal rent which will be five times the normal monthly rent.

यह हमने तो नहीं बनाया है । क्या किया जायेगा, क्या किया जाना चाहिए । एक प्रस्ताव दिया गया है । लेकिन उसको 10 गुणा 15 गुणा से पारिभाषित न कीजिए । रेशनलाईज कीजिए । आप बाहर में कैसे लेते हैं । यह भी हमने लिखा है, कि हमारा शॉपिंग कम्पलेक्स जीर्ण शीर्ण अवस्था में है । लेकिन इस जीर्ण शीर्ण अवस्था के बावजूद भी जबसे ये बोर्ड बना सफाई व्यवस्था की कोशिश की गयी । करीब तीन से चार स्वीपर प्रतिदिन काम करते हैं । लाइट का पैसा हम देते हैं । पानी की व्यवस्था हम करते हैं और शॉपिंग कम्पलेक्स से कोई मेन्टेनेन्स चार्ज नहीं मिलता है । जबकि दुनिया के हर जगह में अगर आपको लीज पर भी दिया गया है तो मेन्टेनेन्स उपभोगकर्ता देते हैं । आज होल्डिंग हम देते हैं । होल्डिंग के भुगतान के पश्चात् सोसाईटी की आय नगण्य होगी । ये हम बताना चाहते हैं जो हमने लिख दिया है । आप विचार करेंगे । आप नहीं देने का विचार करेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है । लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि आप भाड़ा लगा करके कोई 8 हजार लेते हैं कोई 7 हजार तो कोई 6 हजार और एक तर्क आया जो मेम्बर्स से हमने डिस्कसन किया कि फुट फॉल नहीं है । बिक्री नहीं है । छोड़ दीजिए दुकान । ये क्या मतलब हुआ, कि हम दुकान किसी दूसरे को दे दें । सोसाईटी को दें 700 रूपया क्वार्टर्ली आप जो भी लेते हों । मेन्टेनेन्स भी हम नहीं बढ़ायेंगे, नहीं बढ़ेगा । **Security** चला जायेगा, कोई दिक्कत नहीं है । तीसरी बात तो आय आयेगी कहाँ से । **Retirement** की बात करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है, सुनने में । जब **Retire** किये होंगे तो जितना वेतन होगा, उससे तीन गुणा अभी पेंशन होगा । लेकिन

विषय यह नहीं है । उसपर हम नहीं जो रहे हैं । ऐसी स्थिति में आपको तय करना है, कि हमने **Plot wise** क्यों किया था ? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ । नापी में कई विरोधाभास होता है । नापना संभव नहीं है । कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है । कोई नगर निगम का टास्क फोर्स नहीं है कि एक-एक ईंच की जमीन आपकी नापी जाय । संभव नहीं है, वो चेंज होता है । अतः प्लॉट-ए, प्लॉट-बी, प्लॉट-सी, प्लॉट-डी के आधार पर शुल्क का सुझाव दिया गया । मिश्रा साहब ने कहा था उस बैठक में कि आप प्लॉट डी को और बढ़ाईए । लेकिन हमने कहा नहीं इसको **Individual** नहीं देखिये । जब हमने प्लॉट-ए को 12000 किया है तो डी को क्यों करें 10 हजार । हमने उनको कहा । ये रेशनलाईज हुआ । ये कोई ऐसा कन्सेप्ट नहीं है । एक कमिटी बनी, फाईनेन्स कमिटी । काफी लोग थे । सबकुछ तय करके ये बना । हो सकता है, कि रेट कुछ हमने बढ़ाया होगा कुछ हमने (बोर्ड ने) घटाया होगा । ये बात हो सकती है । ये किया गया है । ये 10 गुणा, 5 गुणा की बात तर्कसंगत नहीं है । आप नहीं देना चाहते हैं, मत दीजिए । कह दीजिए कि मेन्टेनेन्स नहीं बढ़ेगा । उसके लिए कोई बाध्यता नहीं होगी । पास करना होगा, कीजिएगा । इसमें कोई बहुमत की जरूरत नहीं है । विचार आपके आ गये हैं । नहीं बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ेगा । एक और अच्छा सुझाव आया था, चौधरी साहब, पहली मुलाकात हुई थी । बहुत अच्छा, जो लोगों को लगता है, कि प्लॉट -ए अधिक, प्लॉट-डी कम । आप इसका फैक्टर निकालिए । **Size of Land + Built up area** पर कर दीजिए तो सब एक साथ में हो जायेगा । जो जितना बड़ा बनाये होंगे और जितनी जमीन होगी, उस हिसाब से

लगेंगे । इस फैक्टर पर अभी हमलोगों ने काम नहीं किया है । क्योंकि ये तीन दिन पहले उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा । और यह अच्छा भी लगा । अब फैक्टर के आधार पर निर्धारण कर प्रस्ताव समर्पित किया जायगा । अगर उसको जीरो कर देंगे तो आपको जीरो लगेगा । आप बढ़ायेंगे तो यह बढ़ेगा । हो सकता है, किसी को 12000 के जगह 13000 लगेंगे और किसीको 5000 की जगह 4000 ही लगेंगे । लेकिन **Individual** को सोच करके पॉलीसी नहीं बनाई जा सकती है , हमको किससे फायदा होगा और इनको किससे नुकसान होगा । हमलोग ये नहीं कर सकते हैं । हमने बताया फैक्टर की बात । इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जायेगा । **X + Y+Z (x=Area of plot, Y= Residential Builtup Area, Z= Non Residential builtup area)**

सोसाईटी के राजस्व वृद्धि हेतु व्यवसायिक भूमि जो सोसाईटी के पास उपलब्ध है, उनका व्यवसायिक उपयोग वर्तमान् परिपेक्ष्य में करना आवश्यक है ।

क्लब के स्वामित्व के संबंध में सचिव, क्लब नें काफी बातें की । क्लब के सचिव, प्रदीप जी ने **Audit report** एवं उप निबंधक न्यायालय के न्यादेश के संदर्भ में कहा कि यह **Observations** हैं । पता नहीं क्यों, सचिव भी सरकारी सेवक रहे हैं । उनके साथ ज्ञानी लोग हैं । " **order on the basis of the observation.**' होता है ।

That is order. Order's on the basis of the observation. कोई भी प्ली जब कोर्ट में होती है, तो लिखा जाता है कि आपने प्लीडिंग की है और उसके आधार पर विधि सम्मत निर्णय होता है । क्लब के बारे में यह स्पष्ट करना चाहता हूँ, कि यह सोसाईटी की इकाई है, न इस बोर्ड को एक ईच जमीन बेचने का अधिकार है, न **AGM** को जमीन बेचने का अधिकार है ।

। क्लब हो, मंदिर हो, कोई भी चीज हो । लॉ जो कहता है, बाय लॉज जो कहता है । और अगर किसीने गलती कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यह बोर्ड भी पुनरावृत्ति कर दे । सुधार न करे, यह नहीं हो सकता । क्लब ने उप निबंधक के आदेश के विरुद्ध याचिका दायर किया है । सोसाईटी अपने ओर से न्यायालय में **I.A.** फाईल करेगी एवं न्यायालय को तथ्यों से अवगत करायेगी । पूर्व में सोसाईटी की जमीन भी बेची गयी है । क्या इसकी पुनरावृत्ति होता रहे ? या इसका शुद्धिकरण हो ।

वाय-लॉज में **Ammendment** की बात है अनेकों बार समय-समय पर हुए हैं । **Ammendment** हमलोगों ने लाया है । यह कोई पहली बार नहीं है । एक कमिटी बनाया गया है । एक व्यापक धारणा में सोचा गया है । इसमें किसी के लाभ या किसी के नुकसान की बात नहीं की गई है । इसको बढ़ाया गया है । क्या **Ammendment** पहली बार हो रहा है । जैसे एक **Ammendment** क्लॉज 28 में है कि अगर 21 आदमी आयेंगे तो कोरम पूरा हो जायेगा । कोऑपरेटिव एक्ट कहता है कि **20% of the strength** पर **Ammendment** बाध्यता है **By-Laws** में ।

Amendment को लेकर कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया जिसकी प्रति **Ammendment** कमिटी को भेजी गयी । **Ammendment** कमिटी ने उसकी समीक्षा कर अपनी अनुशंसा बोर्ड के पास दिया । यह बात बहुत जायज लगा कि उसके **Remarks** में **Reason objective** क्या है ? ये होना चाहिए । मैं मानता हूँ जो चीज नहीं है, नहीं है । अगली बैठक में होगी, या स्पेशल में यह बोर्ड तय करेगा, ठीक है । यह अगले बैठक में होगी । बैठक हेतु **Agenda** का निर्धारण **Chairman** और **Board** तय करेगा । ये **members**

तय नही करेंगे ।

क्लब के बारे में लोगों ने कहा कि सोसाइटी की जमीन 152.36 एकड़ में जो भी है, वह सोसाइटी का है । इसमें कहीं कोई दुविधा, कहीं कोई संदेह नहीं है । किसीने कुछ **agreement** किया है, किसी ने कुछ बोला है तो उससे नहीं होता है । कानून सम्मत कार्रवाई की जायेगी। कार्यावली के अनुसार हमने एजेन्डा पर ही बहस किया है , और काफी सदस्यों ने इसी तरह की बातें की है । सोसाइटी के अन्दर। आवश्यक कार्य किए गए एवं किए जायेंगे। पूर्व के बोर्ड को इसी प्रकार अकर्मण्य/निकम्मा कहा जाता रहा है । यह बोर्ड कार्य एवं सोसाइटी के सदस्यों के सुविधा के लिए सतत प्रयासरत रहेगी। आपको बता दें कि इस सोसाइटी में साढ़े नौ किलोमीटर रोड है । कुछ रोड्स हमारे बहुत अच्छे हैं । पूर्व के बोर्ड ने भी रोड का काम कराया था । अच्छा हो, बुरा हो, हम कोई टेक्नीकल आदमी नहीं हैं । नहीं बोलेंगे। एक इन्जीनियर साहब बोल रहे थे, ये काम नहीं होता है, रोड नहीं बनाईए, नाला नहीं बनाईए, पेभर ब्लॉक नहीं लगाईए । क्या यह होना चाहिए ? सभी तरह के काम यथा सुदृढीकरण/सौंदर्यीकरण के काम होंगे । पहले के बोर्ड ने करीब 92.00 लाख रुपये का **Infrastructure** में काम किया था। रोड में, नाला में, पेभर ब्लॉक में । हमलोगों ने जो अभी काम किया है, जो **sanction** दिया, वह 92.00 लाख का जिसमें अभी तक 65.00 लाख का भुगतान हुआ है । जो पेभर ब्लॉक आपने देखा वह मंदिर से शुरू हुआ। एक प्रिन्सिपल बना कमिटी में कि जो 10 फीट चौड़ी रोड है, उसका चौड़ीकरण किया जाय । उसमें **Pick and Choose** भी नहीं हुआ है । हमारे पूर्व जो बोर्ड के महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे उन्होंने एक जगह शिकायत भी की । अपने समय में किया हो या न किया

हो। सोसाईटी और बोर्ड को भी निर्णय लेने का हक है, आपके द्वारा कि काम यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक प्रिन्सिपल तय हुआ कि जहाँ सबसे कम चौड़ा पथ उसमें पहले काम किया जाय। रोड नम्बर 6 गेट से रोड नम्बर 4 तक काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें पाईप लग रहे थे। वह लग गया, अब वहाँ भी लगेगा। रोड नम्बर 6 के बावत झा जी और दास साहब ने कहा वो क्यों रिपीट किये, दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि हम पहले बता चुके थे, कि वह **sanctioned** है। गेल का पाईप लग रहा है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काम कराया गया है। निर्णय लिया गया है, सामूहिक तौर पर। निर्णय एक बोर्ड या एक व्यक्ति न नहीं लिया है। अब अगर इस आमसभा में हमारे माननीय सदस्य यह कहते हैं कि कोई काम विकास का नहीं किया जाय। लाईट बुझ जाय तो बुझने दीजिए, लाईट जल जाये तो जलने दीजिए। सिक्यूरिटी की जरूरत नहीं है, तो एकदम सहर्ष हम स्वीकार करेंगे। इसपर कहीं कोई दो मत नहीं है। कोई पूर्वाग्रह नहीं है। यह तय कर लीजिए आप। बोर्ड के द्वारा अगली आमसभा में प्रस्ताव दिया जायेगा।

सिक्यूरिटी की बहुत चर्चा हुई। पहले की अपेक्षा सिक्यूरिटी काफी चुस्त-दुरुस्त हुआ है ये चर्चाएँ होती रही हैं। पहले तो **Grivance** देखते थे तो **Grivance** में **social sites** पर जिस दिन से हमने **agenda post** किया है, किसका क्या कमेंट्स है, उसकी **Hard copy** हमने निकाला। 10 से 12 लोग ही आपस में विचार करके अपनी टिप्पणी अंकित किया है। हो जायेगा फिर चार महीने में, तीन महीने में बैठक करेंगे **amendment** के लिए। हम करेंगे बैठक। बैठक से हम नहीं घबराते हैं। पिछले दफा भी बैठक किया। इस साल भी बैठक करेंगे। कुछ अच्छे सुझाव आये हैं। सुधार की बात है, सुधार किये जायेंगे। यह तय

करना होगा । सीर्फ आम सभा को । बोर्ड रहे, हम रहें, वो रहें या ना रहे । और कुछ चीज है, वो करेक्शन भी होगा । करेक्शन करना होगा बोर्ड को अगर मेरे संज्ञान में आया है ।

जिस तरह से ट्रान्सफर ऑफ लैंड के जो पहले के उदाहरण हैं, हमने नहीं किया है । जिस तरह से ट्रान्सफर और फेमिली ट्रान्सफर का बाय लॉज में अपने हिसाब से परिभाषित किया गया है । हमने नहीं किया है । अगर आप ये कहते हैं, जो **original** जमीन आवंटित किये गये थे उस समय में। **Bye-laws** है, उसमें लिमिटेशन है । उसमें 16-17 बार चेंजेज किये गये हैं। धोखाधरी को रोकने के लिए यह **amendment** की जरूरत है । ताकि उसमें **Clarity** हो ।

महेश्वरी बाबू ने कहा था कि **Default list** दें । नहीं है । जो हमने एक **list** बनाया है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें 91.00 लाख में से 50 लाख रूपया हम नहीं वसूल सकते हैं । उसके लिए कोर्ट में लम्बा प्रोसेस करना पड़ेगा ।

डिप्टी रजिस्ट्रार के न्यायालय का आदेश के आलोक एवं **C.A.** के **Audit Report** पहले से आया हुआ है । हमें कहा गया कि आप नोटिश दीजिए लेकिन हमने कहा कि पहले ए0जी0एम0 के सामने रख लिया जाय । इसमें जो लॉ कहेगा उसके तहत कार्रवाई होगी । अगर डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ से कोई ऑर्डर आया था तो क्लब के प्राधिकृत व्यक्ति को **Board/Chairman** से बात करना चाहिए था कि यह **Resolve** कैसे होगा । जब वो कोर्ट गये तो एक **simple** ज्ञान मुझको है । हमारे सब डायरेक्टर से कहने लगे

कि **sub-judice** है । कोई **sub judice** नहीं है । **petition** देना **sub-judice** नहीं होता है । **unless the case has been admitted and any intrim order has ben passed.** अगर यह ज्ञान नहीं है तो **sub judice** की बात कहकर हमारे **Board of Directors** को बरगलाने की जरूरत नहीं थी। और **Whats app** पर चलाने की जरूरत नहीं थी।

आठ प्लॉट का जो मामला है, उसमें सोसाईटी द्वारा सही से प्लीड नहीं किया गया। **Suprim Court** के आदेश के बाद 2003 कट ऑफ डेट दिया गया था । जजमेंट का लाईन इतना कठोर है " इस सोसाईटी के लोग बहुत प्रभावशाली हैं, इसलिए जबर्दस्ती **Housing Board** को 21,000/- रुपये जमा करा दिया । इसलिए इसको नहीं माना जाता है " । इस सन्दर्भ में सोसाईटी एवं हाउसिंग बोर्ड के बीच **Correspondence** हुए थे, उन सभी 87 पेज के दस्तावेज का **PDF** फाईल बनाकर **Whats app** पर डाला गया है ताकि सभी सदस्यों को सच्चाई का पता लगे । अगर 91 लाख देने की बात होगी तो सोसाईटी दे सकती है क्योंकि यह मेम्बर की बात है । लेकिन अगर 25 करोड़ देने की बात होगी तो **under taking** सभी मेम्बर दें । मेम्बर्स ने **under taking** नहीं दिया । हमने कहा कि चिट्ठी हम नहीं भेजेंगे । अब हम वस्तुस्थिति से **Supreme Court order** के बाद हम वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे जिससे हमारे अरविन्द बाबू नहीं सहमत होंगे । यह स्वाभाविक है कि सुप्रिम कोर्ट के न्यायादेश के बाद क्या कर सकते हैं। और उसके बाद प्लॉट का ट्रान्सफर कर दिया गया , जब जमीन ही आपकी नहीं थी तो आपने ट्रान्सफर

कैसे कर दिया ? गलत ढंग से रजिस्ट्री कर दी । ट्रान्सफर करने का किसने परमिशन दे दिया । इन सारी स्थितियों का आकलन करके हो सकता है परफेक्ट हमलोग नहीं हों । इतना हमलोगों को नॉलेज नहीं है । न्यायादेश एवं अधिवक्ताओं के परामर्श के आधार पर हमलोग एक प्रारूप बनाये । फैंक्ट्स लिखकर हमलोग दें और अगर ये लगे कि 91.00 लाख रूपया देने का है । इस सम्बन्ध में एन0 एन0 पाण्डेय साहब ने सभी के सामने कहा था कि 91.00 लाख देना होगा । अगर नहीं दोगे तो 25-50 करोड़ होगा और किसी भी दिन हाउसिंग बोर्ड कार्रवाई कर देगा । कोई नहीं रोकेगा । अगर यही चाहते हैं तो ये भी होगा । 8 मेम्बर को बली का बकरा बना दीजिएगा ।

आश्चर्य है, कि इतने गम्भीर विषय पर कभी आमसभा या बोर्ड में चर्चा नहीं हुई । क्या ये आठ सदस्य सोसाईटी के नहीं हैं ? हमें इस चर्चा को ध्यान में रखना है, कि 8 मेम्बर्स आपके सोसाईटी के मेम्बर हैं । सोसाईटी ने गलत किया है । अगर मेम्बर्स को मेम्बरशिप दिया है । **Delivery of possession** नहीं था, तो रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी । **Land acquisition** में पैसा जमा नहीं हुआ था तो आपको नहीं करना चाहिए था । लेकिन जब आपने किया है, तो सोसाईटी का **Moral responsibility** है अपने उस आठ सदस्यों के पीछ खरा होने का । हम पैसा देने की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन अब लड़ाई तो हमको लड़ना पड़ेगा । ये सारी वस्तुस्थिति है ।

प्रस्तावित शुल्क एवं सोसाईटी के वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करना चाहूँगा । अब बात रह गई **Financial** । कोई 10 गुणा बोलते हैं , कोई 15 गुणा बोलते हैं । 2012 के बाद कोई बढ़ोत्तरी इस तरह की नहीं हुई है इस सोसाईटी में । 12-13 वर्ष हो गये । पहले सोसाईटी के कार्यरत दैनिक भागी कर्मियों का पारिश्रमिक 30 से 35 लाख रूपये होते थे 2007 में । आज एक करोड़ से उपर हो गये हैं ।

सारे **Development works** को हम छोड़ देंगे तो हमें 57 से 60 लाख रुपया **Revenue** आता है इन 3-4 चीजों से और एक करोड़ सैंतिस लाख रुपया **committed expenditure** है, जिसमें पानी है, बिजली है, और पारिश्रमिक है । ये आप पर छोड़ना है, कि आप 500 करना चाहते हैं या 3600 को कम करना चाहते हैं कोई हर्ज नहीं है हमको ।

बात करते हैं **Fixed deposit** की । हमारे सदस्य यह जानना चाहते हैं कि फिर ये इतना काम कैसे कर रहे हैं ? चर्चाएँ होती है कि क्या **Fixed deposit** को तोड़ दिया ? मैं **AGM** के सामने स्पष्ट उल्लेख करता हूँ कि एक रुपये का एफ0 डी0 हमने नहीं तोड़ा है । अभी हमने 5-6 एफ0 डी0 को अप्रैल माह में ब्रेक करने का निर्णय लिया है कि हम उनको ब्रेक करके 5.5 से **7.5%** पर **Fixed** करना चाहते हैं । बजट में सुधार होता रहता है । जो मेम्बर ने कहा है , वह हो जायेगा । लेकिन यह तय कर लें कि मेजर जो हेड बजट का है, उसको आप पसन्द करते हैं या उसमें आप कर्टेल करते हैं । कोई भी प्रोजेक्ट दीजिए । कोई भी व्यक्ति बता दीजिए कि अगर आपके पास कोई फर्मूला है, कि मेन्टेनेन्स का फर्मूला क्या होना चाहिए, सिक्यूरिटी का फर्मूला क्या होना चाहिए तो आपको **most welcome** है । परन्तु किसी कोने से यह सुझाव प्राप्त नहीं हुआ । आप एक सप्ताह के अन्दर बताईए हम उसपर विचार करेंगे । कई सदस्यों द्वारा बजट को औपबंधिक तौर पर पारित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, परन्तु जब **Budget estimation** का **Foundation** ही स्वीकार्य नहीं है, बजट पारित नहीं किया जा सकता , वजट पारित नहीं हो सकता, क्योंकि बजट में जो राजस्व प्राप्ति का आधार है, उसपर

सर्वसम्मति नहीं है । इसलिए अब 2021-22 के **C.A.** द्वारा समर्पित **Audited report** एवं नये सिरे से **maintenance** आदि के निर्धारण के पश्चात् वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जायेगा। टुकड़ों में कोई निर्णय सोसाइटी हित में नहीं है । सदस्यों के सुझाव पर विचार किया जायेगा । **Budget amendment** के लिए अलग से असाधारण आमसभा आहूत की जायेगी। नये सिरे से **maintenance/security charge** तैयार किए जायेंगे । यह ध्यान रखा जायेगा कि सदस्यों पर कम से कम आर्थिक बोझ पड़े एवं सुविधाओं का भी विस्तार हो ।

इन गंभीर विषयों पर विचार करते हुए सोसाइटी के व्यवसायिक दुकानों एवं अन्य आवश्यक श्रोत यथा **Community Hall** आदि को विकसित कर राजस्व संग्रह का कार्य किया जाएगा । अगली बैठक में इसपर विस्तृत चर्चा पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।

शोक संदेश

प्रतिवेदन पुस्तिका के पृष्ठ 16 पर अंकित कुल आठ सदस्यों के नाम अंकित है जो दिवंगत हो गये हैं, उनकी आत्माओं की शांति के लिए हमलोग 2 मिनट का मौन रखेंगे ।

धन्यवाद ज्ञापन


श्रीमति शोभा कुमारी :-

अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय एवं निदेशक मंडल के सदस्यों के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन का अवसर दिये जाने के लिए मैं आभारी हूँ । सर्वप्रथम मैं अशोक नगर

सोसाईटी के सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी जो आज 30 अप्रैल 2023 की 61वीं आमसभा में शामिल हुए और अपना कीमती समय दिया । आपने अपना बहुमूल्य सुझाव और विचार भी साझा किया जो सोसाईटी के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण होंगे । आज के परिपेक्ष्य में सोसाईटी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई प्रस्तावों की स्वीकृति की गई या की जानी है । मैं आशा करती हूँ कि आगे भी इसी प्रकार आपका सहयोग हमें प्राप्त होगा । साथ ही सोसाईटी के सभी कर्मचारियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने सभा को सफल बनाने में अपना योगदान दिया । निदेशक मण्डल आप सबों के सहयोग से ही आगे बढ़ेगी ।

मैं पुनः आप सबों को धन्यवाद देना चाहूँगी । नमस्कार ! धन्यवाद !

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


अध्यक्ष।

ज्ञापक :- 232 दिनांक - 10/06/2023

प्रतिलिपि सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


10.06.23
आ० सचिव